साक्षर भारत

साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग

साक्षर भारत मिशन

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष २०११-१२

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

निदेषालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जय□ुर
डॉ० एस० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-५, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जय□ुर
;. ०१४१.२७०८८३६, फैक्स २७०९०२५, २७०१४४५
E-mail :- dir-lit-rj@nic.in, www.rajliteracy.org

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	□ेज संख्या
१.	साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग का संक्षिप्त □रिचय	१
२.	प्रशासनिक ढ़ाँचा	२
३.	विभाग में स्वीकृत रिड्कत □दों का विवरण	३
४.	'साक्षर भारत मिषन २०१२' एक दृष्टि में	४
५.	उद्देश्य	४
६.	लक्ष्य	४
७.	गतिविधियाँ	५
	१) लाक्र शिक्षा केन्द्रों	५
	२) □ठन□ाठन कार्यक्रम	५
	(१) कार्यात्मक साक्षरता	६
	(२) कार्यक्रम संरचना	६
८.	स्वयंसेवक आधारित कार्यक्रम 'साक्षर भारत मिषन की प्रगति'	७
	(१) असाक्षरों का सर्वे	७
	(२) सर्वे के अनुसार जिलेवार असाक्षरों की संख्या	८
	(३) लाक्र शिक्षा केन्द्रों का संचालन	९
	(४) बैचिंगमैचिंग	१०
	(५) राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर □र समन्वयकों का चयन	१०
	(६) प्रेरकों का चयन	१२
	(७) स्वयंसेवी शिक्षक का महत्त्व एवं चयन	१३
	(८) साक्षरता कक्षाओं का संचालन	१४
	(९) साक्षरता कक्षाओं में अध्ययनरत नवसाक्षरों की जिलेवार संख्या	१६
	(१०) प्रशिक्षण एवं उसका विस्तार	१७
	(११) जनप्रतिनिधियों का ऑरियन्टेशन	२२
	(१२) लाक्र शिक्षा समितियों का गठन	२३
	(१३) बैंक खातों का संचालन	२८
	(१४) विभाग का प्राप्त □ुरस्कार	४६

साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग का संक्षिप्त परिचय

निरक्षरता रूपी अभिशाप को मिटाने के महान उद्देश्य के लिए सार्थक प्रयास हेतु राज्य में दूरस्थ अंचल में बसे हुए निरक्षर ग्रामीणों को साक्षर एवं जागरूक करने के लिए साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग सदैव प्रयत्नशील रहा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के लक्षित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये राज्य में वर्ष १९८८ में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया था।

वर्ष १९९०-९१ से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार १५ से ३५ आयुवर्ग के निरक्षरों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान द्वारा जीवन उपयोगी साक्षरता कौशल प्रदान करने हेतु साक्षरता संबंधी आवश्यक गतिविधियाँ संचालित की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १५ से ३५ आयुवर्ग के निरक्षर रहे लोगों को साक्षरता के दायरे में लाना और नवसाक्षरों का शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना रहा है, इस हेतु जन चेतना केन्द्र एवं सतत शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया था। इन केन्द्रों के माध्यम से नवसाक्षरों को राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, जीवन एवं आर्थिक स्तर में सुधार, भविष्य उन्नयन कार्यक्रम तथा व्यावसायिक कौशल आदि के बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता था।

इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गो की सहभागिता विशेषकर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए सतत शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखते हुए क्रियान्वित किया जा रहा था। उपलब्धियों को प्राप्त करने के क्रम में चीन के जिनान प्रान्त में राज्य के साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय को साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा जनोपयोगी जनकारी एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार २००६ से सम्मानित किया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसे इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। सतत शिक्षा कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा ३१ मार्च, २००९ में बन्द किया जाकर इसके स्थान पर साक्षर भारत मिशन २०१२ कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित नागरिक से ही एक समग्र तथा विकसित राष्ट्र एवं समाज की परिकल्पना की जा सकती है। साक्षरता की दृष्टि से जनगणना २०११ के अनुसार राजस्थान में साक्षरता की स्थिति सारणीवार अवलोकनीय है।

राज्य में साक्षरता दर की तुलनात्मक स्थिति :-

	१९९१	२००१	वृद्धि (:में)	२००१	२०११	वृद्धि (:में)
कुल साक्षरता	३८.५५	६०.४०	२१.८५	६०.४०	६७.०६	६.६६

पुरूष	५४.५९	७५.७०	२०.७१	७५.७०	८०.५१	४.८१
महिला	२०.४४	४३.८५	२३.४१	४३.८५	५२.६६	८.७६

राज्य में दशकीय साक्षरता दर की स्थिति :-

वर्ष	साक्षरता दर		पुरूष साक्षरता दर		स्त्री साक्षरता दर	
	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
१९५१	१६.६७	८.९५	२४.९५	१४.४४	७.९३	३.००
१९६१	२८.३०	१८.१२	४०.३९	२८.०८	१५.३३	७.१०
१९७१	३४.४५	२२.५७	४५.९५	३३.८७	२१.९७	१०.०१
१९८१	४३.५६	३०.०९	५६.३७	४४.७६	२९.७५	१३.९९
१९९१	५२.२१	३८.५५	६४.१३	५४.९९	३९.२९	२०.४४
२००१	६५.३८	६०.४०	७५.८५	७५.७०	५४.४६	४३.८५
२०११	७४.०४	६७.०६	८२.१४	८०.५१	६५.४६	५२.६६

प्रशासनिक ढ़ाँचा :- साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम की सुचारू क्रियान्विति, प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्य करने हेतु निदेशालय स्तर एवं जिला स्तर पर जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से निम्नानुसार कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों में आवश्यकतानुसार परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी भी कार्यक्रम के संचालन में सहयोग हेतु कार्यरत है।

प्रशासनिक ढ़ाँचा

निदेशालय स्तर पर :-	जिला स्तर पर :-
निदेशक (विभागाध्यक्ष) ↓ अतिरिक्त निदेशक उपनिदेशक-२ लेखाधिकारी-१ ↓ प्रशासन-१ मूल्यांकन-१ सहायक लेखाधिकारी-२ ↓ ↓ निजी सचिव-१ लेखाकार-१ सहायक निदेशक-३ कनिष्ठ लेखाकार-४ सतत् शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी -६	जिला कलक्टर (अध्यक्ष) ↓ जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी ↓ सहायक परियोजना अधिकारी (कनिष्ठ) ↓ सांखियकी सहायक/कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक/व.लि./क.लि. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

अधीनस्थ सेवाएं एवं मंत्रालयिक सेवा पद-४० निजी सहायक -१ विधि सहायक -१ आशुलिपिक-३ सांखियकी सहायक-४ सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर-१ कार्यालय सहायक-३ पुस्तकालय अध्यक्ष-१ वरिष्ठ लिपिक-४ कनिष्ठ लिपिक-११ वाहन चालक-४ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-७	जिला समन्वयक ब्लॉक समन्वयक अधीनस्थ सेवाएं एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी

विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

(दिनांक ३१.३.२०१२)

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
१.	निदेशक	०१	०१	.
२.	अतिरिक्त निदेशक	०१	.	०१
३.	उपनिदेशक	०१	.	०१
४.	उपनिदेशक, मूल्यांकन	०१	०१	.
५.	लेखाधिकारी	०१	०१	.
६.	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी	३२	२७	०५
७.	सहायक निदेशक	०२	०१	०१
८.	सहायक निदेशक (सांखियकी)	०१	.	०१
९.	सहायक लेखाधिकारी	०२	०२	.
१०.	सहायक परियोजना अधिकारी (वरिष्ठ)	०२	०२	.
११.	सतत शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी	०६	०६	.
१२.	कार्यक्रम सहायक	०३	०२	०१
१३.	निजी सचिव	०१	०१	.
१४.	निजी सहायक	०१	०१	.
१५.	लेखाकार	०१	०१	.
१६.	कनिष्ठ लेखाकार	०८	०४	०४
१७.	कार्यालय सहायक	१३	०८	०५

१८.	आशुलिपिक	०३	०३	.
१९.	सांखियकी सहायक	१३	१२	०१
२०.	सहायक परियोजना अधिकारी (कनिष्ठ)	२७	१६	११
२१.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	०१	०१	.
२२.	विधि सहायक	०१	०१	.
२३.	पुस्तकालयाध्यक्ष	०१	०१	.
२४.	वरिष्ठ लिपिक	२३	२०	०३
२५.	कनिष्ठ लिपिक	३३	३१	०२
२६.	वाहन चालक	०४	०३	०१
२७.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	३९	३४	०५
योग		२२२	१८०	४२

'साक्षर भारत मिशन २०१२' एक दृष्टि में

पृष्ठभूमि :-

असाक्षरता के गहन अंधकार को मिटाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ०८ सितम्बर, २००९ को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के "स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग" की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "साक्षर भारत मिषन २०१२" का शुभारंभ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक भव्य समारोह में किया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम का संचालन ०१.१०.२००९ से प्रारंभ कर दिया गया है। राज्यों में साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरूआत १४ दिसम्बर, २००९ से की जा चुकी है। राजस्थान राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार साक्षर भारत कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

साक्षर भारत कार्यक्रम में १५ वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के सभी वयस्क व्यक्तियों को साक्षर करने हेतु सम्मिलित किया गया है। हालांकि इसमें विशेष प्राथमिकता महिला वर्ग की साक्षरता पर है। इस योजना में बुनियादी साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम अब शृंखलाबद्ध कार्यक्रम के स्थान पर सतत रूप से साथ-साथ संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवक आधारित जन अभियान के प्रयास में प्रौढ़ शिक्षा के वैकल्पिक प्रयास का प्रावधान रखा गया है। क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सभी कार्यक्रमों के प्रबंधन क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गये है। योजना में राज्य सरकार तथा समुदायों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम में भारत सरकार का अंषदान ७५ प्रतिषत तथा राज्य सरकार का अंषदान २५ प्रतिषत है।

उद्देश्य :-

- असाक्षर वयस्कों को साक्षरता, तथा अंक ज्ञान का कौशल प्रदान करना।

- नवसाक्षरों को बुनियादी साक्षरता से आगे शिक्षार्जन जारी रखने व औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से समतुल्य शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना।
- जीवन स्तर एवं आय अर्जन की दशाओं में सुधार लाने हेतु नवसाक्षरों व असाक्षरों में आवश्यक कौषल विकास प्रदान करना।

नवसाक्षर वयस्कों को सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान कर, सीखते पढ़ते समाज की रचना को प्रोत्साहित करना।

लक्ष्य :-

- १५ वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग के वयस्कों को साक्षर करना।
- १५ वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग के वयस्कों को बुनियादी शिक्षा तथा व्यावसायिक कार्यक्रम से जोड़ना।

इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु मिषन की प्राथमिकता महिला साक्षरता की वृद्धि पर होगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंखयक व अन्य गैर लाभान्वित समूहों पर भी विद्रोष ध्यान दिया गया है।

साक्षर भारत कार्यक्रम में आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ

साक्षर भारत मिषन २०१२ के अन्तर्गत राज्य में निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जानी प्रस्तावित है, जिसमें १५ वर्ष तथा उसे अधिक आयुवर्ग के वयस्कों को शामिल किया गया है। वर्ष २०११-१२ में बेसिक साक्षरता की कक्षाएँ प्रारम्भ की गई है, उसके बाद अन्य गतिविधियों को गति प्रदान करते हुए कार्यक्रम में प्रशिक्षण की सार्थकता एवं नवसाक्षरों का मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित चरणों में गतिविधियाँ सम्पन्न की जायेंगी।

१. बेसिक साक्षरता
२. बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम एवं समतुल्यता (समतुल्य शिक्षा)
३. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम
४. सतत शिक्षा कार्यक्रम

लोक शिक्षा केन्द्र :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ५००० की आबादी पर एक लोक शिक्षा केन्द्र खोला जायेगा। ५००० से अधिक आबादी पर दो लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जा सकते है। लोक शिक्षा केन्द्र यथा-संभव ग्राम पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थान या राजकीय विद्यालय में संचालित किया जायेगा। लोक शिक्षा केन्द्रों पर पुस्तकालय, अध्ययन-अध्यापन, समूह

चर्चा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।

साथ ही लोक शिक्षा केन्द्रों को एकल खिड़की का स्वरूप भी प्रदान किया जायेगा, इन लोक शिक्षा केन्द्रों पर समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जावेगी। लोक शिक्षा केन्द्र का संचालन दो प्रेरकों के माध्यम से किया जायेगा, जिन्हें अनुबंध के आधार पर भुगतान किया जायेगा। प्रेरकों की नियुक्ति में सीमान्त समूहों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंखयक) को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रति लोक शिक्षा केन्द्र (दो प्रेरक) एक महिला एवं एक पुरूष कार्य करेंगे, एक प्रेरक कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण होना आवद्गयक है। प्रेरकों को प्रतिमाह २०००/- रूपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

पठन-पाठन कार्यक्रम

साक्षरता की जरूरत तथा निरक्षर एवं नवसाक्षर वयस्कों को जागरूक करने हेतु अलग-अलग पठन-पाठन की प्रवृतियाँ संचालित होंगी, जिनमें कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक कौशल शिक्षा तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम समेकित रूप से संचालित किए जाएंगे।

कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम

साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के पहले चरण को पूरा करना होगा, जो असाक्षर वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करेगा। "कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यात्मक साक्षरता का अर्थ है पढ़ने, लिखने और अंक ज्ञान के कौशलों में आत्म निर्भर बनना साथ ही स्वयं की बदहाली के कारणों की पहचान करना और संगठन तथा विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनते हुए अपनी जीवन स्थितियों में सुधार करना स्वंय की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और जीवन की आम बेहतरी के लिए कौशल अर्जित करना।" साथ ही राष्ट्रीय सरोकार के आयामों जैसे राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता आदि के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना।

कार्यक्रम का □ांचा/संरचना

इस कार्य के लिए अपने- अपने क्षेत्र में सर्वे द्वारा निरक्षरों की पहचान, शिक्षार्जन संबंधी उनकी जरूरतों का क्षेत्रवार मानचित्रीकरण, तथा शिक्षार्थी के अभिप्रेरणा स्तर और स्थानीय स्थितियों के आधार पर अनुदेशकों द्वारा उन्हें ३ माह अथवा उससे अधिक की अवधि में ३०० घंटे की शिक्षण व्यवस्था देना शामिल होगा। ३०० घंटे के इस निर्देशात्मक सत्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर शिक्षार्थी नए गद्यांश को पढ़ व समझ पाने में

सक्षम बन सकेंगे जिसमें समाचार पत्रों की शीर्ष पँक्तियाँ, यातायात संकेत आदि शामिल हैं। साथ ही शिक्षार्थी अपने दैनिक गतिविधियों में पत्र और प्रार्थना पत्र लिखने, आवेदन पत्र भरने आदि कार्यों में अपनी लेखन क्षमता का प्रयोग कर सकेंगे और गुणा तथा भाग के सामान्य सवालों को भी हल कर सकेंगे। अध्ययन के परिणाम के मूल्यांकन के आधार पर सफल पाए जाने वाले शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इससे मुक्त शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से आगे शिक्षा जारी रखने के अवसर खुलेंगे। ये कक्षाएं शिक्षार्थियों के स्थान और समय की सुविधानुसार लगाई जाएंगी। राज्य साक्षरता मिशन का यह दायित्व होगा कि वह स्कूल के समय के अलावा छुट्टियों के दिनों में भी साक्षरता कक्षाओं और अन्य संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल भवनों के उपयोग हेतु व्यवस्था कराए।

स्वयंयेवक आधारित व्यापक साक्षरता अभियान

इस कार्यविधि के अंतर्गत, बड़े पैमाने पर स्वयंसेवक द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है। प्रत्येक स्वंयसेवक औसतन ८-१० शिक्षार्थियों को साक्षरता प्रदान करने में एक उत्प्रेरक, प्रशिक्षक तथा शिक्षक का कार्य करता है। क्रियात्मक स्तर पर क्रियान्वयन एजेन्सी पर ही शिक्षार्थियों को साक्षरता किटों के वितरण की जिम्मेदारी होगी। एजेन्सी की जिम्मेदारी यह भी होगी कि शिक्षार्थी व स्वयंयेवकों के प्रत्येक समूह की प्रगति का आकलन करे साथ ही वह यह भी ध्यान रखे कि सीखने की गति धीमी न होने पाए वहीं यह भी सुनिश्चित हो कि शिक्षण कार्य शिक्षार्थी की सीखने की गति के अनुकूल हो।

प्रति शिक्षार्थी व्यय की दर

सर्वे	६ रुपये
शिक्षण सामग्री टी.एल.एम. (प्राइमर्स)	६० रुपये
सहायक शिक्षण सामग्री	३० रुपये
प्रशिक्षण आरपी, एमटी, वीटी (०.३०+८.७०+१००.००)	१०९ रुपये
मूल्यांकन	२५ रुपये

कुल	२३० रुपये

साक्षर भारत मिषन की प्रगति

१. असाक्षरों का सर्वे :-

चूंकि साक्षर भारत कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही संचालित है, इसलिए कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व प्रथम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले असाक्षरों का सर्वे कार्य कराया गया। राज्य में साक्षर भारत कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ३२ जिलों में ('कोटा जिले को छोड़कर) सर्वे कार्य २२.०७.२०१० से प्रारंभ किया गया था सर्वे कार्य आई.सी.आर. शीट्स के माध्यम से कराया गया, जिससे आसानी से □टा कम्प्यूटराईज हो सकें। प्रारम्भिक स्तर पर अनुमानित आंकड़े निम्नानुसार है :-

१. सर्वे किये गये परिवारों की संखया : १.२५ करोड़

२. १५ से अधिक आयुवर्ग के निरक्षरों की संखया : लगभग १०० लाख

४. सर्वे कार्य में ३५००० सर्वेयरों (शिक्षकों) की ड्यूटी लगायी गयी।

५. प्रत्येक सर्वेयर को सर्वे कार्य हेतु २.५० रूपये प्रति परिवार देना निश्चित किया गया।

६. राज्य के ३२ जिलों के २४४ ब्लॉक की ९०२१ ग्राम पंचायतों में असाक्षरों का सर्वे कार्य किया गया है।

७. सर्वे कार्य में १.३१ करोड़ आई.सी.आर. शीट्स का उपयोग किया गया।

८. सर्वे कार्य के आधार पर प्राप्त असाक्षरों के □टा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलो□ किया जा चुका है।

सर्वे के अनुसार जिलेवार असाक्षरों की संखया (अनुमानित)

क्र. सं.	जिले का नाम	पुरूष असाक्षरों की संखया	महिला असाक्षरों की संखया	कुल असाक्षरों की संखया
१	अजमेर	१२३४३५	१६५०८३	२८८५१८
२	अलवर	२३५९२६	२९८१३१	५३४०५७
३	बांसवाड़ा	१२१२०७	१४४५९०	२६५७९७
४	बारां	७६४०७	१००५९२	१७६९९९
५	बाड़मेर	२४७६४७	२८५८१७	५३३४६४
६	भरतपुर	१४९७२७	१९७४२१	३४७१४८
७	भीलवाड़ा	१७४८५९	२२२६४२	३९७५०१
८	बीकानेर	१५३५६०	१६१७३१	३१५२९१
९	बूंदी	८९४५०	१०७९८०	१९७४३०
१०	चित्तौ□गढ़	१०१०७६	१४३५७४	२४४६४९
११	चूरू	१२२४०१	१४३९८८	२६६३८९

१२	दौसा	११००७२	१५७२९७	२६७३६९
१३	धौलपुर	९३२८३	१०४३८३	१९७६६६
१४	डूंगरपुर	९७२६८	१३०६९९	२२७९६७
१५	गंगानगर	१२७६४२	१३६०४२	२६३६८५
१६	हनुमानगढ़	१३२९११	१३९०९६	२७२००७
१७	जयपुर	२३२४४३	३२४२९४	५५६७३७
१८	जैसलमेर	६८०६८	६८८५६	१३६९२४
१९	जालौर	२०५४४९	२४५५०३	४५०९५२
२०	झालावाड़	१०५७५२	१३१४४२	२३७१९४
२१	झुंझुनूं	८७७५८	१३५०४०	२२२७९९
२२	जोधपुर	१०३०३९	२४२३५२	३४५३९२
२३	करौली	१००४९०	१३४२५४	२३४७४४
२४	नागौर	२३२७०३	३०१२८४	५३३९८७
२५	पाली	१४५७१६	१९४६४०	३४०३५५
२६	राजसमन्द	८१०३९	११६४९८	१९७५३७
२७	स.माधोपुर	१००३७४	१२९५८२	२२९९५६
२८	सीकर	१३०३५७	१८८२४१	३१८५९७
२९	सिरोही	१७७६४७	१२३८०८	३०१४५५
३०	टोंक	११२०७७	१५११८२	२६३२५९
३१	उदयपुर	३८८६१६	२९०८४७	६७९४६४
३२	प्रतापगढ़	७६९०९	९०००९	१६६९१८
योग		४५०५३०८	५५०६८९८	१००१२२०७

२. लोक शिक्षा केन्द्रों का संचालन :-

साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ८८७३ लोक शिक्षा केन्द्र संचालित करने की स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन ३० लोक शिक्षा केन्द्रों के नामों का साक्षर भारत के पोर्टल पर सही रूप से दर्ज नहीं होने के कारण यह लोक शिक्षा केन्द्र संचालित नहीं किये जा सके है। राज्य में ८८४३ लोक शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिलेवार लोक शिक्षा केन्द्रों की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम जिला	लोक शिक्षा केन्द्रों की संखया (लक्ष्य)	लोक शिक्षा केन्द्रों की संखया (उपलब्धि)
१	अजमेर	२७५	२७५
२	अलवर	४७१	४७१
३	बांसवाड़ा	३०६	३०६
४	बारां	२१४	२१४

५	बाड़मेर	३८०	३८०
६	भरतपुर	३७१	३७१
७	भीलवाड़ा	३८१	३८१
८	बीकानेर	२१९	२१९
९	बूंदी	१८१	१८१
१०	चित्तौड़गढ़	२८८	२८८
११	चूरू	२४९	२४९
१२	दौसा	२२५	२२५
१३	धौलपुर	१५३	१५३
१४	ड़ूंगरपुर	२३६	२३६
१५	गंगानगर	३२०	३२०
१६	हनुमानगढ़	२५१	२५१
१७	जयपुर	४८८	४८८
१८	जैसलमेर	१२८	१२८
१९	जालौर	२६४	२६४
२०	झालावाड़	२५२	२५२
२१	झूंझुनूं	२८८	२८८
२२	जोधपुर	३३८	३३८
२३	करौली	२२३	२२३
२४	नागौर	४६१	४६१
२५	पाली	३२०	३२०
२६	राजसमंद	२०५	२०५
२७	स.माधोपुर	१९७	१९७
२८	सीकर	३२९	३२९
२९	सिरोही	१५१	१५१
३०	टोंक	२३०	२३०
३१	उदयपुर	४४९	४४९
कुल योग		८८४३	८८४३

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में शत प्रतिशत लोक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा रहे है।

३.बैचिंग-मैचिंग :-

राज्य में जुलाई, २०१० में असाक्षरों का सर्वे कार्य किया गया था। यह सर्वे कार्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में पाये गये असाक्षरों की संखया के हिसाब से स्वयंसेवी शिक्षकों के आधार पर उनका बैचिंग-मैचिंग किया जा चुका है। राज्य

में १.०० करोड़ असाक्षर पाये गये है, परन्तु वर्ष २०११-१२ में ८.०० लाख असाक्षरों का बैंचिग-मैचिंग करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष २०११-१२ में लक्ष्य ८.०० लाख की तुलना में १२.०० लाख असाक्षरों का बैंचिग-मैचिंग किया जा चुका है, अर्थात लक्ष्य की तुलना में १५० प्रतिशत बैंचिग-मैचिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

४.राज्य स्तर पर समन्वयकों का चयन :-

साक्षर भारत कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य स्तर पर ५ समन्वयकों को लगाने के नियम है, लेकिन आवश्यकता को देखते हुये ३ समन्वयकों की नियुक्ति निदेशालय स्तर पर की गई है। शेष २ समन्वयकों के पद अभी तक नहीं भरे गये है। राज्य स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति अनुबन्ध के आधार पर की गई है, प्रत्येक समन्वयक को ६००० रुपये मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

५.जिला स्तर पर समन्वयकों का चयन :-

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ४ समन्वयकों को अनुबन्ध के आधार पर चयन करने का नियम है। यह समन्वयक जिला स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम को संचालित करेंगे। राज्य के ३१ जिलों में (कोटा एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर) १२४ समन्वयको का चयन किया जाना था, जिसकी जिलेवार प्रगति निम्नानुसार है :-

जिला स्तर पर समन्वयकों का चयन

क्र.सं.	नाम जिला	समन्वयकों की संखया (लक्ष्य)	चयनित समन्वयको की संखया (उपलब्धि)
१	अजमेर	४	४
२	अलवर	४	३
३	बांसवाड़ा	४	२
४	बारां	४	४
५	बाड़मेर	४	१
६	भरतपुर	४	१
७	भीलवाड़ा	४	४
८	बीकानेर	४	४
९	बूंदी	४	४
१०	चित्तौड़गढ़	४	४
११	चूरू	४	२
१२	दौसा	४	४
१३	धौलपुर	४	४

१४	डूंगरपुर	४	४
१५	गंगानगर	४	४
१६	हनुमानगढ़	४	४
१७	जयपुर	४	१
१८	जैसलमेर	४	४
१९	जालौर	४	४
२०	झालावाड़	४	४
२१	झून्झुनू	४	४
२२	जोधपुर	४	२
२३	करौली	४	४
२४	नागौर	४	४
२५	पाली	४	४
२६	राजसमंद	४	४
२७	स.माधोपुर	४	४
२८	सीकर	४	४
२९	सिरोही	४	४
३०	टोंक	४	२
३१	उदयपुर	४	४
कुल योग		१२४	१०६

६.ब्लॉक स्तर पर समन्वयकों का चयन :-

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक समन्वयक का चयन पारिश्रमिक के आधार पर करने का प्रावधान है। यह समन्वयक सभी लोक शिक्षा केन्द्रों की मॉनिटंरिग एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालय का संचालन करेंगे। साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत २२८ ब्लॉक का अथोराईजेशन प्राप्त हुआ है, जिसमें समन्वयकों का चयन किया जाना है। जिलों में ब्लॉकवार समन्वयकों के चयन की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम जिला	ब्लॉक समन्वयकों का चयन (लक्ष्य)	ब्लॉक समन्वयकों का चयन (उपलिब्ध)
१	अजमेर	८	८
२	अलवर	१४	१४
३	बांसवाड़ा	८	८
४	बारां	७	१
५	बाड़मेर	८	४
६	भरतपुर	९	९

७	भीलवाड़ा	११	११
८	बीकानेर	५	५
९	बूंदी	४	४
१०	चित्तौड़गढ़	११	११
११	चूरू	६	६
१२	दौसा	५	३
१३	धौलपुर	४	४
१४	डूंगरपुर	५	५
१५	गंगानगर	७	७
१६	हनुमानगढ़	३	३
१७	जयपुर	१३	१२
१८	जैसलमेर	३	३
१९	जालौर	७	७
२०	झालावाड़	६	६
२१	झुंझुनूं	८	८
२२	जोधपुर	९	६
२३	करौली	५	५
२४	नागौर	११	११
२५	पाली	१०	८
२६	राजसमंद	७	७
२७	स.माधोपुर	५	५
२८	सीकर	८	८
२९	सिरोही	५	५
३०	टोंक	६	६
३१	उदयपुर	१०	१०
कुल योग		२२८	२१०

७.प्रेरकों का चयन :-

राज्य में ८८४३ लोक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा रहे है, प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्र में २ प्रेरकों का चयन अनुबन्ध के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक प्रेरक को २००० रुपये मासिक पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। प्रत्येक लोक शिक्षा केन्द्र में एक पुरूष प्रेरक तथा एक महिला प्रेरक का चयन किये जाने का नियम है, प्रेरक की योग्यता १०वीं पास होना अनिवार्य है। राज्य में संचालित जिलेवार लोक शिक्षा केन्द्रों एवं उनमें नियुक्त प्रेरकों की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	लोक शिक्षा केन्द्रों की संखया	प्रेरकों की संखया (लक्ष्य)	प्रेरकों की संखया (उपलब्धि)
१	अजमेर	२७५	५५०	५१३
२	अलवर	४७१	९४२	९३०
३	बांसवाड़ा	३०६	६१२	६०६
४	बारां	२१४	४२८	४०२
५	बाड़मेर	३८०	७६०	६४०
६	भरतपुर	३७१	७४२	६६४
७	भीलवाड़ा	३८१	७६२	७६२
८	बीकानेर	२१९	४३८	३५५
९	बूंदी	१८१	३६२	३५२
१०	चित्तौड़गढ़	२८८	५७६	३४५
११	चूरू	२४९	४९८	४३४
१२	दौसा	२२५	४५०	४३३
१३	धौलपुर	१५३	३०६	३०६
१४	डूंगरपुर	२३६	४७२	४६८
१५	गंगानगर	३२०	६४०	६१३
१६	हनुमानगढ़	२५१	५०२	४३३
१७	जयपुर	४८८	९७६	९०८
१८	जैसलमेर	१२८	२५६	१९५
१९	जालौर	२६४	५२८	४६८
२०	झालावाड़	२५२	५०४	४७९
२१	झुंझुनूं	२८८	५७६	५५४
२२	जोधपुर	३३८	६७६	५७०
२३	करौली	२२३	४४६	४३१
२४	नागौर	४६१	९२२	९००
२५	पाली	३२०	६४०	६०८
२६	राजसमंद	२०५	४१०	३८९
२७	स.माधोपुर	१९७	३९४	३७८
२८	सीकर	३२९	६५८	६३५
२९	सिरोही	१५१	३०२	२३६
३०	टोंक	२३०	४६०	४२३
३१	उदयपुर	४४९	८९८	७८८
कुल योग		८८४३	१७६८६	१६२१८

८.स्वयंसेवी शिक्षकों का चयन :-

साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत साक्षरता कक्षाऐं संचालित करने का दायित्व स्वयंसेवी शिक्षकों को सौंपा गया है। साक्षरता कक्षाऐं संचालित करने के लिए स्वयंसेवी शिक्षकों को कोई मानदेय अथवा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किये जाने का प्रावधान है, अर्थात् योजना का उद्देश्य अधिक-अधिक स्वयंसेवी व्यक्तियों को जोड़कर उनके माध्यम से पठन-पाठन का कार्य करवाया जाना है। स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त कोई भी व्यक्ति, सेवानिवृत्त अध्यापक, सेवानिवृत्त भारतीय सेना के कर्मचारी, स्काउट एवं गाई□ के के□ट, विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, किसी भी स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी एवं इच्छित व्यक्ति स्वयंसेवी शिक्षक का कार्य कर सकता है। यह स्वयंसेवी शिक्षक किसी चौपाल पर, अपने स्वयं के निवास स्थान पर, पंचायत भवन, आंगनबा□ी केन्द्र, विद्यालय भवन, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर साक्षरता कक्षाओं का संचालन कर सकते है। नरेगा योजना के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों के लिये कार्य स्थल पर साक्षरता कक्षाऐं संचालित कर सकते है। राज्य की जेलों में बन्द कैदियों के लिये जेल भवन में ही स्वयंसेवी शिक्षक द्वारा साक्षरता कक्षाऐं प्रारम्भ की जा सकती है। जिलेवार चयनित स्वयंसेवी शिक्षकों की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वयंसेवी शिक्षकों का चयन (लक्ष्य)	स्वयंसेवी शिक्षकों का चयन (उपलब्धि)
१	अजमेर	१८८०	४७९५
२	अलवर	४९१३	३०९४९
३	बांसवाड़ा	३२५८	९७७७
४	बारां	८९५	१८१०
५	बाड़मेर	३२४२	९७२९
६	भरतपुर	२५७१	२५७१
७	भीलवाड़ा	३७७१	६९८८
८	बीकानेर	२७४२	४८२५
९	बूंदी	१७४५	३०३२
१०	चित्तौड़गढ़	२७३५	२२९४
११	चूरू	१८५५	२५४५
१२	दौसा	२१८५	४५१५

१३	धौलपुर	१४०४	१८७४
१४	डूंगरपुर	२४७५	७३९१
१५	गंगानगर	१४४७	१४४६
१६	हनुमानगढ़	२३९८	१६७९
१७	जयपुर	४६२८	६९७५
१८	जैसलमेर	९२७	२५२९
१९	जालौर	३१६०	४०३६
२०	झालावाड़	२२२०	२२६४
२१	झुंझुनूं	२०७५	६४२९
२२	जोधपुर	४२०६	६७५४
२३	करौली	१७४४	३५००
२४	नागौर	४७३७	५५००
२५	पाली	३३१४	३२००
२६	राजसमंद	१९५१	१९५१
२७	स.माधोपुर	१९३२	९७९९
२८	सीकर	२६५२	२३६५
२९	सिरोही	१६१७	२६५०
३०	टोंक	२२७०	२०८७
३१	उदयपुर	४०५१	७०८६
कुल योग		८१०००	१६३३४५

९.साक्षरता कक्षाओं का संचालन :-

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत ८-१० असाक्षरों को पढ़ाने के लिये एक साक्षरता कक्षा का संचालन किये जाने का प्रावधान हैं। इस साक्षरता कक्षा में असाक्षरों को बेसिक साक्षरता का ज्ञान दिया जाता है, जिसमें आखर हलचल एवं अगला कदम नामक पुस्तकों को पढ़ाया जाता है। एक साक्षरता कक्षा में आखर हलचल एवं अगला कदम के लिये न्यूनतम तीन माह या ३०० घण्टे की पढ़ाई होना आवश्यक है। इस पढ़ाई के उपरान्त असाक्षर व्यक्ति बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हो सकता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा साक्षर होने का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। राज्य में संचालित साक्षरता कक्षाओं की जिलेवार प्रगति निम्नानुसार है :-
साक्षरता कक्षाओं की जिलेवार प्रगति :-

क्र.सं.	जिले का नाम	साक्षरता कक्षाओं की संखया (लक्ष्य)	संचालित साक्षरता कक्षाओं की संखया (उपलब्धि)
१	अजमेर	१८८०	४६०३

२	अलवर	४९१३	३४९७७
३	बांसवाड़ा	३२५८	९७७७
४	बारां	८९५	१८१०
५	बाड़मेर	३२४२	९७२९
६	भरतपुर	२५७१	२५७४
७	भीलवाड़ा	३७७१	६९८८
८	बीकानेर	२७४२	५१८०
९	बूंदी	१७४५	३०३२
१०	चित्तौड़गढ़	२७३५	२२९४
११	चूरू	१८५५	२५४५
१२	दौसा	२१८५	४५१५
१३	धौलपुर	१४०४	१८७४
१४	ूंगरपुर	२४७५	७३९१
१५	गंगानगर	१४४७	१७६६
१६	हनुमानगढ़	२३९८	१६७९
१७	जयपुर	४६२८	६९७५
१८	जैसलमेर	९२७	२५२९
१९	जालौर	३१६०	३५५१
२०	झालावाड़	२२२०	२७४३
२१	झुंझुनूं	२०७५	६४२९
२२	जोधपुर	४२०६	४०५०
२३	करौली	१७४४	३५००
२४	नागौर	४७३७	५५००
२५	पाली	३३१४	३२००
२६	राजसमंद	१९५१	६२२
२७	स.माधोपुर	१९३२	५७९९
२८	सीकर	२६५२	२६५२
२९	सिरोही	१६१७	२६५०
३०	टोंक	२२७०	२०८७
३१	उदयपुर	४०५१	२३७१
कुल योग		८१०००	१५५३९२

साक्षरता कक्षाओं में अध्ययनरत नवसाक्षरों की जिलेवार संखया

क्र.सं.	जिले का नाम	साक्षरता कक्षाओं की संखया	साक्षरता कक्षाओं में

			अध्ययनरत नवसाक्षरों की संखया
१	अजमेर	४६०३	५०६६६
२	अलवर	३४९७७	३४९७७६
३	बांसवाड़ा	९७७७	७४०६०
४	बारां	१८१०	२२१२०
५	बाड़मेर	९७२९	६०४६४
६	भरतपुर	२५७४	३००५०
७	भीलवाड़ा	६९८८	६९८८०
८	बीकानेर	५१८०	५०६८९
९	बूंदी	३०३२	३५५४०
१०	चित्तौड़गढ़	२२९४	३०७८५
११	चूरू	२५४५	२४४४४
१२	दौसा	४५१५	२४६२५
१३	धौलपुर	१८७४	१८१६२
१४	ूंगरपुर	७३९१	७८५९०
१५	गंगानगर	१७६६	१७६६०
१६	हनुमानगढ़	१६७९	१८०४०
१७	जयपुर	६९७५	६९२२३
१८	जैसलमेर	२५२९	२७८२०
१९	जालौर	३५५१	३५१४०
२०	झालावाड़	२७४३	२७४३०
२१	झुंझुनूं	६४२९	३८५२०
२२	जोधपुर	४०५०	४२१७८
२३	करौली	३५००	३००००
२४	नागौर	५५००	४६१५५
२५	पाली	३२००	३३१४०
२६	राजसमंद	६२२	५०१४
२७	स.माधोपुर	५७९९	५७९९४
२८	सीकर	२६५२	३००००
२९	सिरोही	२६५०	२६५००
३०	टोंक	२०८७	२५१००
३१	उदयपुर	२३७१	२४९७४
कुल योग		१५५३९२	१४७४७३९

१०.प्रशिक्षण :-

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत लोक शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं अन्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है। मुखय संदर्भ व्यक्ति (राज्य संदर्भ केन्द्रों द्वारा), संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके है। मास्टर टेनर्स, स्वयंसेवी शिक्षकों एवं प्रेरकों के प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा चुके है। मास्टर टेनर्स (MT) एवं स्वयंसेवी (VTs) शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर से दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जो निम्नानुसार है :-

- भारत सरकार द्वारा असाक्षरों के आधार पर ही MT, VT के लिये राशि का ऑथराइजेशन किया गया है, अतः आवंटित राशि के आधार पर ही MT, VT का प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया है।
- २० स्वयंसेवी शिक्षकों पर एक दक्ष प्रशिक्षक लगाया जावेगा तथा ३० दक्ष प्रशिक्षकों पर एक संदर्भ व्यक्ति लगाया जाना है।
- दक्ष प्रशिक्षक कम से कम स्नातक हो तथा साक्षर भारत कार्यक्रम से जुड़ा रहे एवं आवश्यकतानुसार अपनी सेवाएं दे सके।
- प्रशिक्षण की अवधि प्रशिक्षण के स्तर के अनुसार रखी जाती है।

□ज्ए टज् प्रशिक्षण जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश दिए जाते हैं एवं इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से साक्षर भारत कार्यक्रम को गति प्रदान की जा रही है।

माह मार्च, २०१२ तक आयोजित संदर्भ व्यक्ति के प्रशिक्षण की जिलेवार प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	संदर्भ व्यक्तियों की संखया (लक्ष्य)	संदर्भ व्यक्तियों की संखया (उपलब्धि)
१	अजमेर	३	१९
२	अलवर	८	२६
३	बांसवाड़ा	५	१७
४	बारां	१	९
५	बाड़मेर	५	३२
६	भरतपुर	४	१५
७	भीलवाड़ा	६	१९
८	बीकानेर	५	२६
९	बूंदी	३	१०
१०	चित्तौड़गढ़	५	२८

११	चूरू	३	१९
१२	दौसा	४	११
१३	धौलपुर	२	७
१४	डूंगरपुर	४	१३
१५	गंगानगर	२	७
१६	हनुमानगढ़	४	३७
१७	जयपुर	८	२५
१८	जैसलमेर	२	८
१९	जालौर	५	१४
२०	झालावाड़	४	२२
२१	झुंझुनूं	३	११
२२	जोधपुर	७	१६
२३	करौली	३	८
२४	नागौर	८	२२
२५	पाली	६	१३
२६	राजसमंद	३	१३
२७	स.माधोपुर	३	१३
२८	सीकर	४	१३
२९	सिरोही	३	८
३०	टोंक	४	१५
३१	उदयपुर	७	२१
कुल योग		१३५	५१७

मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण

माह मार्च, २०१२ तक आयोजित मास्टर ट्रेरनर्स के प्रशिक्षण की जिलेवार प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	मास्टर ट्रेनर्स की संखया (लक्ष्य)	मास्टर ट्रेनर्स की संखया (उपलब्धि)
१	अजमेर	९४	२४९
२	अलवर	२४६	२७३
३	बांसवाड़ा	१६३	४८९
४	बारां	४५	९७
५	बाड़मेर	१६२	९३७
६	भरतपुर	१२९	१३४

७	भीलवाड़ा	१८९	३१३
८	बीकानेर	१३७	२१९
९	बूंदी	८७	१५०
१०	चित्तौड़गढ़	१३७	६५
११	चूरू	९३	५१७
१२	दौसा	१०९	१९५
१३	धौलपुर	७०	२०१
१४	डूंगरपुर	१२४	४२४
१५	गंगानगर	७२	२१७
१६	हनुमानगढ़	१२०	२१०
१७	जयपुर	२३१	२१५
१८	जैसलमेर	४६	१००
१९	जालौर	१५८	२४१
२०	झालावाड़	१११	६६६
२१	झुंझुनूं	१०४	२७४
२२	जोधपुर	२१०	१८५
२३	करौली	८७	१०४
२४	नागौर	२३७	६६०
२५	पाली	१६६	२४७
२६	राजसमंद	९८	२९४
२७	स.माधोपुर	९७	२८८
२८	सीकर	१३३	३९८
२९	सिरोही	८१	४९२
३०	टोंक	११४	२९३
३१	उदयपुर	२०३	५४९
कुल योग		४०५०	९६९६

स्वयंसेवी शिक्षकों का प्रशिक्षण

माह मार्च, २०१२ तक आयोजित स्वयंसेवी शिक्षकों के प्रशिक्षण की जिलेवार प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वयंसेवी शिक्षकों की संखया (लक्ष्य)	स्वयंसेवी शिक्षकों की संखया (उपलब्धि)
१	अजमेर	१८८०	४७९५
२	अलवर	४९१३	२७२२९

३	बांसवाड़ा	३२५८	९७७७
४	बारां	८९५	१४२०
५	बाड़मेर	३२४२	९७००
६	भरतपुर	२५७१	२५७१
७	भीलवाड़ा	३७७१	६२४९
८	बीकानेर	२७४२	१६९२
९	बूंदी	१७४५	१७७०
१०	चित्तौड़गढ़	२७३५	२२९४
११	चूरू	१८५५	१०००
१२	दौसा	२१८५	६६००
१३	धौलपुर	१४०४	१८७४
१४	डूंगरपुर	२४७५	७३९१
१५	गंगानगर	१४४७	१४४६
१६	हनुमानगढ़	२३९८	२३२५
१७	जयपुर	४६२८	५६३०
१८	जैसलमेर	९२७	९२७
१९	जालौर	३१६०	२८४८
२०	झालावाड़	२२२०	२२६४
२१	झुंझुनूं	२०७५	६२२९
२२	जोधपुर	४२०६	६७५४
२३	करौली	१७४४	५२३३
२४	नागौर	४७३७	५५००
२५	पाली	३३१४	३९७२
२६	राजसमंद	१९५१	१९१३
२७	स.माधोपुर	१९३२	४८६५
२८	सीकर	२६५२	३१००
२९	सिरोही	१६१७	२६५०
३०	टोंक	२२७०	२२६९
३१	उदयपुर	४०५१	७०८६
कुल योग		८१०००	१४९३७३

प्रेरकों का प्रशिक्षण

माह मार्च, २०१२ तक आयोजित प्रेरकों के प्रशिक्षण की जिलेवार प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रेरकों की संखया (लक्ष्य)	प्रेरकों की संखया (उपलब्धि)
१	अजमेर	५५०	५५०
२	अलवर	९४२	९३०
३	बांसवाड़ा	६१२	६०६
४	बारां	४२८	३३५
५	बाड़मेर	७६०	३८०
६	भरतपुर	७४२	६६१
७	भीलवाड़ा	७६२	७३७
८	बीकानेर	४३८	१४४
९	बूंदी	३६२	३५२
१०	चित्तौड़गढ़	५७६	४१
११	चूरू	४९८	४३४
१२	दौसा	४५०	४०७
१३	धौलपुर	३०६	३००
१४	ूंगरपुर	४७२	४६८
१५	गंगानगर	६४०	४७४
१६	हनुमानगढ़	५०२	४०१
१७	जयपुर	९७६	९०८
१८	जैसलमेर	२५६	१९०
१९	जालौर	५२८	४०४
२०	झालावाड़	५०४	४७९
२१	झुंझुनू	५७६	५२७
२२	जोधपुर	६७६	४५०
२३	करौली	४४६	४३१
२४	नागौर	९२२	९००
२५	पाली	६४०	५४७
२६	राजसमंद	४१०	३८९
२७	स.माधोपुर	३९४	३६२
२८	सीकर	६५८	६३५
२९	सिरोही	३०२	३८५
३०	टोंक	४६०	४००
३१	उदयपुर	८९८	७०४
कुल योग		१७६८६	१४९३१

११. समन्वयकों का ऑरियन्टेशनः-

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में चार तथा प्रत्येक ब्लॉक पद एक समन्वयक का चयन अनुबन्ध के आधार पर किया गया है। साक्षर भारत कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी इन समन्वयकों को ही सौंपी गई है। समन्वयकों के ऑरियन्टेशन की जिलेवार प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	जिले पर चयनित समन्वयकों का ऑरियन्टेशन		ब्लॉक पर चयनित समन्वयकों का ऑरियन्टेशन	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
१	अजमेर	४	४	८	८
२	अलवर	४	४	१४	१४
३	बांसवाड़ा	४	२	८	८
४	बारां	४	४	७	१
५	बाड़मेर	४	१	८	८
६	भरतपुर	४	१	९	९
७	भीलवाड़ा	४	४	११	११
८	बीकानेर	४	४	५	५
९	बूंदी	४	४	४	४
१०	चित्तौड़गढ़	४	३	११	११
११	चूरू	४	२	६	६
१२	दौसा	४	४	५	५
१३	धौलपुर	४	१	४	४
१४	डूंगरपुर	४	४	५	५
१५	गंगानगर	४	४	७	७
१६	हनुमानगढ़	४	४	३	३
१७	जयपुर	४	२	१३	०
१८	जैसलमेर	४	४	३	२
१९	जालौर	४	१	७	०
२०	झालावाड़	४	४	६	६
२१	झुंझुनूं	४	४	८	८
२२	जोधपुर	४	३	९	९
२३	करौली	४	४	५	५
२४	नागौर	४	४	११	११
२५	पाली	४	४	१०	८

२६	राजसमंद	४	४	७	७
२७	स.माधोपुर	४	२	५	५
२८	सीकर	४	४	८	८
२९	सिरोही	४	४	५	५
३०	टोंक	४	४	६	६
३१	उदयपुर	४	४	१०	१०
कुल योग		१२४	१०२	२२८	१९९

१२. जनप्रतिनिधियों का ऑरियन्टेशन :-

राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को पंचायती राज विभाग के अधीन किया जा चुका है तथा साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत ही आता है, इसलिए साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी गतिविधियों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को होना आवश्यक है। जनप्रतिनिधियों को साक्षरता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की मॉनिटंरिग के अधिकार दिये गये है। जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला लोक शिक्षा समिति, ब्लॉक स्तर पर प्रधान की अध्यक्षता में ब्लॉक लोक शिक्षा समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम लोक शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। इन जनप्रतिनिधियों को साक्षर भारत कार्यक्रम की जानकारी दिया जाना आवश्यक है, इसलिए जनप्रतिनिधियों का जिलेवार, ब्लॉकवार एवं ग्राम पंचायतवार ऑरियन्टेशन कार्यक्रम पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाता है, उसी कार्यक्रम में साक्षरता विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। माह मार्च, २०१२ तक की जिलेवार एवं ब्लॉकवार तथा ग्राम पंचायतवार ऑरियन्टेशन की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	जिलेवार जनप्रतिनिधियो का ऑरियन्टेशन		ब्लॉकवार जनप्रतिनिधियो का ऑरियन्टेशन		ग्राम पंचायतवार जनप्रतिनिधियो का ऑरियन्टेशन	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
१	अजमेर	३१	०	१५८	०	३०६४	०
२	अलवर	४९	४९	३०२	३०२	५८५६	५८५६
३	बांसवाड़ा	३१	१	१६६	८	३२५९	३०६
४	बारां	२५	५०	११७	१८५	२२२८	२०२०
५	बाड़मेर	३७	०	१९८	०	४१७०	०
६	भरतपुर	३७	३७	२०१	१६४	४१२५	०
७	भीलवाड़ा	३७	३७	२११	२११	४१३८	४१३८

८	बीकानेर	२९	०	१३२	०	२६४९	०
९	बूंदी	२३	२३	९७	९७	२००१	०
१०	चित्तौड़गढ़	२५	०	१७३	०	३०२४	०
११	चूरू	२७	२७	१४४	१४४	२९२५	०
१२	दौसा	२९	०	१३३	०	२६९९	०
१३	धौलपुर	२३	०	९४	०	१८५५	०
१४	ूंगरपुर	२७	०	१२५	०	२५७०	०
१५	गंगानगर	३१	०	१६०	०	३४२२	०
१६	हनुमानगढ़	२९	०	१४३	०	२९८८	०
१७	जयपुर	५१	५१	३१५	३१५	५०९७	०
१८	जैसलमेर	१७	१७	४९	४९	१२३४	१२३४
१९	जालौर	३१	०	१६२	०	३१७९	०
२०	झालावाड़	२७	२७	१२६	१२६	२६८२	२६८२
२१	झुंझुनूं	३५	३५	१९०	१९०	२६९४	२६८२
२२	जोधपुर	३७	०	२१०	०	४१५७	०
२३	करौली	२७	२४	१२१	११८	२४७७	२२१५
२४	नागौर	४७	१	२७३	११	५४७९	४६१
२५	पाली	३३	३३	१९२	१९२	३६९२	३६९२
२६	राजसमंद	२५	२५	११८	११८	२१८७	२१७५
२७	स.माधोपुर	२५	२	१११	१०	२२३२	३९४
२८	सीकर	३९	३९	२१६	२१६	४२०९	४२०९
२९	सिरोही	२१	१०	८९	२८	१६७४	५२३
३०	टोंक	२५	२५	१२२	१०१	२४४७	०
३१	उदयपुर	४३	०	२४७	०	५०७०	०
कुल योग		९७३	५१३	५०९५	२५८५	९९४८३	३२५८७

I. १३. लोक शिक्षा समितियों का गठन :-

- माननीय मुखयमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर गठित "शाषी-परिषद" का गठन निम्नानुसार किया गया है।
- अध्यक्ष - माननीय मुखयमंत्री महोदय
- सदस्य -
- शिक्षामंत्री
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
- जनजाति विकास एवं तकनीकी शिक्षामंत्री

- महिला एवं बाल विकास मंत्री
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
- मुखय सचिव
- प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास
- प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा- सदस्य सचिव
- जिला प्रमुख -०२
- शिक्षाविद् - ०२
- प्रधान पंचायत समिति - ०५
- प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन - ०२
- प्रतिष्ठित समाज सेवी (०१)/ साक्षरता के क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता-०१

मी□िया विशेषज्ञ- निदेशक, जन संपर्क विभाग

II. माननीय मुखय सचिव महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की निष्पादक समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य शामिल है।

- मुखय, सचिव, राजस्थान राज्य - अध्यक्ष
- प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग - सदस्य

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं - सदस्य

- पंचायतीराज विभाग

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं

- स्वास्थ्य विभाग - सदस्य
- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग - सदस्य
- शासन सचिव, वित्त (व्यय) - सदस्य
- आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान - सदस्य
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा - सदस्य
- निदेशक, प्रारंम्भिक शिक्षा - सदस्य

सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन

- स्कूल, जयपुर - सदस्य
- निदेशक, राज्य संदर्भ केन्द्र, जयपुर - सदस्य

अध्यक्ष/प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मुक्त

- विद्यालयी शिक्षा संस्थान - सदस्य

महानिदेशक/ प्रतिनिधि, मानव

- संसाधन विकास मंत्रालय - सदस्य
- शिक्षाविद् - २ (जिसमें एक महिला सदस्य) - सदस्य
- स्वयंसेवी संस्था (१) - सदस्य

निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा - सदस्य सचिव

III. सभी जिलों में (कोटा को छोड़कर) जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिनके सदस्य निम्नानुसार है।

- अध्यक्ष - जिला प्रमुख
- समन्वयक - जिला कलक्टर
  - सदस्य -
  - पंचायत समितियों के चार प्रधान (जिसमें कम से कम ५० प्रतिशत महिलाएं हो)।
  - चयनित ग्राम पंचायतों के चार सरपंच (जिसमें कम से कम ५० प्रतिशत महिलाएं हो)।
  - चयनित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कृषि विभाग, जलदाय विभाग, जिला रसद अधिकारी)।
  - स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि - ०२
  - शिक्षाविद्- ०१
  - सामाजिक कार्यकर्ता - ०२
  - जनशिक्षण संस्थान के निदेशक (यदि सम्बन्धित जिले में जनशिक्षण संस्थान का कार्यालय है)।
  - प्राचार्य, जिला आद्यौगिकी प्रशिक्षण संस्थान

  प्राचार्य, □ाईट

IV. सभी जिलों में (कोटा को छोड़कर) जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला निष्पादक समिति का गठन भी किया गया है, जिसके सदस्य निम्नानुसार है :-

- जिला कलक्टर - अध्यक्ष
- मुखय कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - सदस्य
- जिले के समस्त उपखण□ अधिकारी - सदस्य
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा - सदस्य
- परियोजना निदेशक, महिला विकास अभिकरण - सदस्य
- क्षेत्रिय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य
- मुखय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग - सदस्य
- उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग - सदस्य

जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी - सदस्य सचिव

V. ब्लॉक स्तर पर (पंचायत समिति) ब्लॉक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्नानुसार है। साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत २२८ ब्लॉक स्तरीय लोक शिक्षा समितियों का गठन किया जा चुका है।

- अध्यक्ष - प्रधान पंचायत समिति
  - सदस्य -
  - उपखण अधिकारी - समन्वयक
  - पंचायत समिति की निर्वाचित समस्त महिला प्रतिनिधि - सदस्य
  - पंचायत समिति क्षेत्र में स्थिति उच्च माध्यमिक विद्यालयों के (छात्र एवं छात्रा विद्यालय) प्राचार्य - ०२
  - समुदाय के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि (अजा-०१,अजजा-०१,अल्पसंखयक-०१)
  - तहसीलदार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सी.ी.पी.ओ., सहायक अभियन्ता (पी.एच.ई.ी.), ब्लॉक मुखय चिकित्साधिकारी।
  - ब्लॉक शिक्षा समिति का अध्यक्ष
  - स्वयंसेवी संस्था - ०१
  - सदस्य सचिव - विकास अधिकारी।

  ब्लॉक स्तर पर सचिवालय - दो व्यक्ति पूर्णकालिक अनुबन्ध पर लगाये जाएंगे, जो इस प्रकार होंगे :- ब्लॉक कार्िनेटर- ०१ लिपिक मय कम्प्यूटर ऑपरेटर- ०१

ब्लॉक स्तर पर गठित ब्लॉक लोक शिक्षा समितियों की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	गठित ब्लाक लोक शिक्षा समिति	
		लक्ष्य	उपलब्धि
१	अजमेर	८	८
२	अलवर	१४	१४
३	बांसवाड़ा	८	८
४	बारां	७	७
५	बाड़मेर	८	८
६	भरतपुर	९	९
७	भीलवाड़ा	११	११
८	बीकानेर	५	५
९	बूंदी	४	४
१०	चित्तौड़गढ़	११	११
११	चूरू	६	६
१२	दौसा	५	५

१३	धौलपुर	४	४
१४	□ूंगरपुर	५	५
१५	गंगानगर	७	७
१६	हनुमानगढ़	३	३
१७	जयपुर	१३	१३
१८	जैसलमेर	३	३
१९	जालौर	७	७
२०	झालावाड़	६	६
२१	झुंझुनूं	८	८
२२	जोधपुर	९	९
२३	करौली	५	५
२४	नागौर	११	११
२५	पाली	१०	१०
२६	राजसमंद	७	७
२७	स.माधोपुर	५	५
२८	सीकर	८	८
२९	सिरोही	५	५
३०	टोंक	६	६
३१	उदयपुर	१०	१०
कुल योग		२२८	२२८

VI. ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्नानुसार है। साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत ८८४३ ब्लॉक स्तरीय लोक शिक्षा समितियों का गठन किया जा चुका है।

- अध्यक्ष - सरपंच
- उपाध्यक्ष - पंचायत सदस्यों मे से चयनित एक व्यक्ति
- सदस्य - (कुल सदस्य संखया में ५० प्रतिशत महिलाओं का स्थान होगा)।
- ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला सदस्य - ०२
- प्रधानाध्यापक/शिक्षक स्थानीय विद्यालय - ०१ (ग्राम पंचायत द्वारा चयनित)
- समुदाय के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि (अजा-०१,अजजा-०१,अल्पसंखयक-०१)
- ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव -०१
- महिला मं□ल/स्वयं सहायता समूह सदस्य - ०१
- नवसाक्षर -०२
- सामाजिक कार्यकर्ता - ०१
- साक्षर/ विचारक (वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी/□ॉक्टर) -०१

- सदस्य सचिव - ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पंचायत

ग्राम पंचायत स्तर पर सचिवालय - प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्थापित किये जाने वाले लोक शिक्षा केन्द्र पर दो प्रेरक, पूर्णकालिक अनुबन्ध पर लगाये जाएंगे। उक्त लोक शिक्षा केन्द्र ही ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत स्तरीय समिति (पंचायत स्तरीय लोक शिक्षा समिति) के सचिवालय की भूमिका का निर्वहन करेगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम लोक शिक्षा समिति की प्रगति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति	
		लक्ष्य	उपलब्धि
१	अजमेर	२७५	२७५
२	अलवर	४७१	४७१
३	बांसवाड़ा	३०६	३०६
४	बारां	२१४	२१४
५	बाड़मेर	३८०	३८०
६	भरतपुर	३७१	३७१
७	भीलवाड़ा	३८१	३८१
८	बीकानेर	२१९	२१९
९	बूंदी	१८१	१८१
१०	चित्तौड़गढ़	२८८	२८८
११	चूरू	२४९	२४९
१२	दौसा	२२५	२२५
१३	धौलपुर	१५३	१५३
१४	डूंगरपुर	२३६	२३६
१५	गंगानगर	३२०	३२०
१६	हनुमानगढ़	२५१	२५१
१७	जयपुर	४८८	४८८
१८	जैसलमेर	१२८	१२८
१९	जालौर	२६४	२६४
२०	झालावाड़	२५२	२५२
२१	झुंझुनूं	२८८	२८८
२२	जोधपुर	३३८	३३८
२३	करौली	२२३	२२३
२४	नागौर	४६१	४६१

२५	पाली	३२०	३२०
२६	राजसमंद	२०५	२०५
२७	स.माधोपुर	१९७	१९७
२८	सीकर	३२९	३२९
२९	सिरोही	१५१	१५१
३०	टोंक	२३०	२३०
३१	उदयपुर	४४९	४४९
कुल योग		८८४३	८८४३

१४. बैंक खातों का संचालन :-

१. निदेशालय स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का खाता खुलवाया जा चुका है।

२. सभी जिलों (कोटा एवं प्रतापगढ़ को छो□कर) में साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में खाते खुलवाये जा चुके है तथा सभी जिलों को राशि का अष्ाोराईजेशन भी जारी किया जा चुका है।

३. साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत पोर्टल पर २२८ ब्लॉक स्वीकृत है, इन सभी स्वीकृत ब्लॉकों का बैंक खाते खुलवाये जा चुके है तथा सभी ब्लॉकों को अष्ाोराईजेशन भी जारी किया जा चुका है।

४. साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत पोर्टल की सही स्थिति के अनुसार ८८४३ ग्राम पंचायते ही स्वीकृत है, इन सभी ग्राम पंचायतों के बैंक खाते खुलवाये जा चुके है तथा इन्हें अष्ाोराईजेशन भी जारी किया जा चुका है।

१५. प्राइमर्स का वितरण :-

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम किश्त की राशि १६.६७ प्रतिशत तथा द्वितीय किश्त की राशि ३३.३३ प्रतिशत, इस प्रकार कुल स्वीकृत राशि का ५० प्रतिशत बजट प्राप्त हो गया है। प्रथम किश्त की राशि १६.६७ प्रतिशत के लिये ८.१० लाख असाक्षरों को प्राईमर्स वितरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिलेवार भिजवाई गई आखर हलचल एवं अगला कदम पुस्तकों की संखया निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	जिलेवार भिजवाई गई आखर हलचल की संखया		जिलेवार भिजवाई गई अगला कदम की संखया	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि

१	अजमेर	१८८००	३४१५०	१८८००	३४१५०
२	अलवर	४९१३२	११९८८०	४९१३२	११९८८०
३	बांसवाड़ा	३२५७७	४१६४०	३२५७७	४१६४०
४	बारां	८९५१	१६१००	८९५१	१६१००
५	बाड़मेर	३२४१५	२७६८०	३२४१५	२७६८०
६	भरतपुर	२५७०८	३३१६०	२५७०८	३३१६०
७	भीलवाड़ा	३७७११	४५०००	३७७११	४५०००
८	बीकानेर	२७४२२	३०२१०	२७४२२	३०२१०
९	बूंदी	१७४४८	२८९२०	१७४४८	२८९२०
१०	चित्तौड़गढ़	२७३५४	३०९००	२७३५४	३०९००
११	चूरू	१८५५१	२०९००	१८५५१	२०९००
१२	दौसा	२१८४८	२४६००	२१८४८	२४६००
१३	धौलपुर	१४०३६	१४४६०	१४०३६	१४४६०
१४	डूंगरपुर	२४७४९	३०२२०	२४७४९	३०२२०
१५	गंगानगर	१४४६५	२२७००	१४४६५	२२७००
१६	हनुमानगढ़	२३९७८	२३९४०	२३९७८	२३९४०
१७	जयपुर	४६२८३	४७३८०	४६२८३	४७३८०
१८	जैसलमेर	९२६७	१४६००	९२६७	१४६००
१९	जालौर	३१५९८	३१०६०	३१५९८	३१०६०
२०	झालावाड़	२२२०४	३०८६०	२२२०४	३०८६०
२१	झुंझुनूं	२०७५४	२४२८०	२०७५४	२४२८०
२२	जोधपुर	४२०९४	४३०८०	४२०९४	४३०८०
२३	करौली	१७४३७	२२७८०	१७४३७	२२७८०
२४	नागौर	४७३६६	६४२४०	४७३६६	६४२४०
२५	पाली	३३१४३	४००४०	३३१४३	४००४०
२६	राजसमंद	१९५१२	२२१८०	१९५१२	२२१८०
२७	स.माधोपुर	१९३००	२६९८०	१९३००	२६९८०
२८	सीकर	२६५१४	३३४४०	२६५१४	३३४४०
२९	सिरोही	१६१७४	२४८००	१६१७४	२४८००
३०	टोंक	२२६९५	३८९२०	२२६९५	३८९२०
३१	उदयपुर	४०५१४	३६१००	४०५१४	३६१००
कुल योग		८१००००	१०४५२००	८१००००	१०४५२००

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि आखर हलचल एवं अगला कदम की पुस्तके लक्ष्य की तुलना में अधिक भिजवाई गई है। माह फरवरी, २०१२ तक साक्षरता कक्षाओं में १२११६९०

असाक्षरों को प्रवेश दिया गया था, जिन्हें यह पुस्तकें पढ़ने के लिये उपलब्ध कराई गई है। बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा इस कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धि रही। १८ मार्च, २०१२ को नवसाक्षरों की बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गई जिसमें १०.२७ लाख से अधिक परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया गया।

१६. साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलोि◌ंग की स्थिति :-

१. सर्वे ◌ेटा का अपलोि◌ंग :- राज्य के ३२ जिलों (कोटा को छोड़कर) के २४४ ब्लॉक की ९०२१ ग्राम पंचायतों में असाक्षरों का सर्वे किया गया था। जिला प्रतापगढ़ को छो◌कर शेष ३१ जिलों के असाक्षरों के सर्वे ◌ेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलो◌ किया जा चुका है।

२. ग्राम-पंचायत प्रोफाईल :- साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत ८८७३ ग्राम पंचायते स्वीकृत है, लेकिन साक्षर भारत के पोर्टल पर ८८४३ ग्राम पंचायते ही सही स्थिति में दर्ज है। माह मार्च, २०१२ तक ६७३७ ग्राम पंचायत प्रोफाईल को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलो◌ किया जा चुका है।

३. राज्य-स्तर पर गठित शाषी परिषद् :- माननीय मुखयमंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित शाषी परिषद् के सम्पूर्ण बायो◌ेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलो◌ किया जा चुका है।

४. राज्य-स्तर पर गठित निष्पादक समिति :- माननीय मुखय सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित निष्पादक समिति के सम्पूर्ण बायो◌ेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलो◌ किया जा चुका है।

५. जिला-स्तरीय लोक शिक्षा समिति :- राज्य के ३१ जिलों (कोटा एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर) की जिला स्तरीय लोक शिक्षा समिति के बायो◌ेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलोड़ किया जा चुका है।

६. जिला-स्तरीय निष्पादक समिति :- राज्य के ३१ जिलों (कोटा एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर) की जिला स्तरीय निष्पादक समिति के बायो◌ेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलो◌ किया जा चुका है।

७. ब्लॉक-स्तरीय लोक शिक्षा समिति :- राज्य के ३१ जिलों (कोटा एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर) के २२८ ब्लॉक को साक्षरता भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। इन सभी २२८ ब्लॉकों की ब्लॉक स्तरीय लोक शिक्षा समिति के बायो◌ेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलो◌ किया जा चुका है।

८. ग्राम-स्तरीय लोक शिक्षा समिति :- साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत ८८७३ ग्राम पंचायते स्वीकृत है, लेकिन साक्षर भारत के पोर्टल पर ८८४३ ग्राम पंचायते ही सही स्थिति में दर्ज है। माह मार्च, २०१२ तक ८२०० ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समितियों के बायो◌ेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलो◌ किया जा चुका है।

९. जिला-स्तरीय समन्वयक :- साक्षर भारत कार्यक्रम को अपडेट किये जाने एवं रखने हेतु प्रत्येक जिले में ४ समन्वयकों का चयन कर उनके बायोडेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। कुल लक्ष्य १२४ की तुलना में माह मार्च, २०१२ तक ९३ समन्वयकों के बायोडेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

१०. ब्लॉक स्तरीय समन्वयक :- साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत २२८ ब्लॉक स्वीकृत है, प्रत्येक ब्लॉक पर एक समन्वयक का चयन किया जाना है। कुल २२८ ब्लॉकों में से १६० ब्लॉक समन्वयक के बायोडेटा को ३१ मार्च, २०१२ तक साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

११. प्रेरकों का अपलोडिंग :- राज्य में १७६८६ प्रेरकों का चयन कर उनके बायोडेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। लक्ष्य की तुलना में ३१ मार्च, २०१२ तक कुल १२५९१ प्रेरकों के बायोडेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

१२. स्वयंसेवी शिक्षकों का अपलोडिंग :- साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, २०१२ तक ८१००० स्वयंसेवी शिक्षकों का चयन कर उनके बायोडेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाना था। मार्च, २०१२ तक लक्ष्य की तुलना में १०८६२९ स्वयंसेवी शिक्षकों के बायोडेटा को साक्षर भारत के वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

१७. बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत नव-साक्षरों का मूल्यांकन :-

१. भूमिका :- साक्षर भारत कार्यक्रम की गुणात्मक सफलता एवं निष्कर्ष के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को सिखाए गए साक्षरता कौशलों का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। उनकी उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए शिक्षार्थियों में साहस से कार्य करने का एवं आत्मविश्वास जगाने के लिए भी ऐसा करना आवश्यक है। उन्हें उच्चतर शिक्षा और समझ के प्रति प्रोत्साहित करने एवं औपचारिक शिक्षा के समकक्ष भी लाना है। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है, जिससे हमें यह फीडबैक मिलता है, कि शिक्षार्थियों ने पढ़ाई गई विषयवस्तु को कितनी अच्छी तरह से समझा और आत्मसात् किया है। विद्यार्थी जब इस प्रक्रिया में भाग लेता है तो शैक्षिक मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी को प्राप्त की गई क्षमताओं और कौशलों की जानकारी देता है। विद्यार्थी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्यक्रमों के निष्कर्ष को दो पहलुओं पर निश्चित करती है। (प) विद्यार्थी द्वारा साक्षरता कौशलों में प्राप्त किये गए निपुणता स्तर, (पप) साक्षरता कौशलों के मूल्यांकन कार्यक्रम में प्रतिभागी द्वारा अनुभव की गई सशक्त अनुभूति। जांच कार्य एनएलएम के नियमानुसार निर्मित साधनों का उपयोग करते हुए किया जाएगा। निपुणता स्तरों को एन.एल.एम. के

नियमों के अनुसार पढ़ने, लिखने और गणना करने संबंधी कौशलों के मूल्यांकन द्वारा निश्चित किया जाएगा।

बेसिक साक्षरता मूल्यांकन कार्यक्रम एक विशद् कार्यक्रम होगा और इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं/विभागों की सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता होगी।

२. मूल्यांकन करने और प्रमाण पत्र देने के उद्देश्य :-

नवसाक्षरों के मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :-

१. प्राप्त किए गए कार्यात्मक साक्षरता कौशलों के निपुणता स्तरों का मूल्यांकन करना।

२. प्रमाण-पत्र द्वारा बेसिक साक्षरता स्तर के उपलब्धि स्तर को मान्यता देना।

३. शिक्षा में उन्हें उच्चतर गतिशीलता के लिए प्रोत्साहित करना।

४. अनौपचारिक अनुभव को बढ़ावा देना और उपयुक्त शिक्षा और जीवन कौशल समान रूप से उपलब्ध कराना।

३. मूल्यांकन और प्रमाण-पत्र के लिए मुखय आधार :-

I. विद्यार्थी मूल्यांकन की प्रणाली में साक्षरता कौशलों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता द्वारा सामान्य जागरुकता और सशक्तिकरण भी शामिल है। इसलिए यह मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रभाव को मापने और शिक्षार्थी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सुझाव देने में सहायता करेगा। शिक्षार्थी मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मुखय आधार है -

II. साक्षरता कौशल प्राप्त करने से शिक्षार्थी के औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणालियों द्वारा जीवनपर्यन्त शैक्षिक प्रक्रिया में भाग लेने में सहायता मिलेगी।

III. मूल्यांकन प्रक्रिया से विद्यार्थी में आत्मविश्वास का निर्माण करने और कार्यक्रम को बहुमूल्य फी□बैक प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

IV. साक्षरता और केन्द्र आधारित गतिविधियों में भाग लेने से शिक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में योगदान मिलता है।

V. साक्षर भारत कार्यक्रम के महत्वपूर्ण कारकों में शिक्षार्थी का स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास का विकास करना है।

आधारभूत स्तर पर विकासात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय प्रतिभागिता के लिए शिक्षार्थियों की जागरुकता और सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण तत्व है।

४. मूल्यांकन के सिद्धांत :-

I. मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल मूल सिद्धांत होंगे -

II. साहस और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। इसके लिए संकलित मूल्यांकन होंगे

III. कुल मूल्यांकन १५० अंकों का होगा, जिसमें प्रत्येक कौशल (पढ़ना, लिखना और गणित) के लिए ५० अंक निर्धारित किए जाएँगे।

निम्नलिखित तीन भागों में प्रत्येक के लिए शिक्षार्थी को अंक दिए जायेंगे :

(क) पढ़ना : ५० अंक

(ख) लिखना : ५० अंक

IV. (ग) गणित : ५० अंक

शिक्षार्थी अपनी गति से सभी भागों में अंक प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र है।

५. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अनुसार बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में तीन स्तर होंगे - क, ख और ग जो निम्नलिखित है :-

कुल अंक प्रतिशत में	स्पष्टीकरण	ग्रे□
६० प्रतिशत और अधिक	अच्छा	क
४० प्रतिशत और अधिक	संतोषजनक	ख
४० प्रतिशत से कम	सुधार की आवश्यकता	ग

६. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान परिणाम तैयार करेगा और ग्रे□-सह-प्रमाण पत्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का एक संयुक्त प्रमाण पत्र होगा, जिसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के साथ परामर्श करके □जाइन और तैयार किया जायेगा। ग्रे□-सह-प्रमाणपत्र में ए, बी एवं सी ग्रे□ दर्शाये जाएंगे।

७. ग्रे□-सह-प्रमाणपत्र का मुद्रण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और उसके बाद आगे वितरण के लिए प्रत्येक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को सौंपा जाएगा। ग्रे□-सह-प्रमाणपत्र मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी शिक्षार्थियों के लिए तैयार किया जाएगा।

८. किसी भी भाग में 'सी' ग्रे□ प्राप्त करने वाले शिक्षार्थी अगले मूल्यांकन कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी क्षमता का स्तर बढ़ा सकते हैं।

९. मूल्यांकन के क्षेत्र :- शिक्षार्थी की ३ घण्टे की संकलित लिखित बाह्य परीक्षा द्वारा पढ़ने, लिखने और गणना कौशलों की निपूर्णता का मूल्यांकन किया जाएगा।

I. १०. संकलित मूल्यांकन करना :-

II. इसके द्वारा ३ स्तर पर अर्थात् पढ़ने, लिखने और गणना करने में प्राप्त की गई विद्यार्थी निपूर्णता का मूल्यांकन किया जाएगा।

III. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण संकलित मूल्यांकन का नमूना राज्य संदर्भ केन्द्र के विशेषज्ञों के सहयोग से हिन्दी में तैयार किया गया, जिसमें संबंधित राज्य संदर्भ केन्द्र क्षेत्रीय भाषा में उसका अनुवाद करेंगे।

IV. प्रश्न उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने के लिए जगह होगी। परीक्षार्थी को दी गई जगह में ही उत्तर लिखने होंगे और उसे उत्तर लिखने के लिए अलग से कागज नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को प्रश्न उत्तर पुस्तिकाओं परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

सम्बन्धित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण आवश्यक संखया में प्रश्न उत्तर पुस्तिका का मुद्रण करेंगे, मुहरबंद करेंगे और सभी एन.एल.एस.एस./जी.पी.एल.एस.एस. को भेजेंगे, जिससे इन्हें आगे परीक्षा केन्द्रों में वितरित किया जा सके।

११. तीनों भागों के लिए कुल अंक १५० है परीक्षा अंकों का निम्नलिखित प्रकार से वितरण है :-

क्र.सं.	भाग	अंक
१	पढ़ना	५०
२	लिखना	५०
३	गणना	५०
कुल		१५०

बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा

राज्य में १८.०३.२०१२ को बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें ८ लाख परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। राज्य के ३१ जिलों (कोटा एवं प्रतापगढ़ को छोड़कर) में बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन कराया गया, जिसमें १०.२७ लाख परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया गया। राज्य में जिलेवार परीक्षा केन्द्रों की संखया एवं परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	जिलेवार लक्ष्य	Total No. of Exam Centres प्द The District	No. of Persons Registered for the Exam	No. of Appeared पद Assessment Test		Total Appeared	% Appeared Towards Target
					Male	Female		
१	अजमेर	६९६४०	५८९	७०१०३	१६४१०	४७८३७	६४२४७	९२.२६
२	अलवर	३४५२४०	२४७९	३४४६५७	७३७४५	१८१७७३	२५५५१८	७४.०१
३	बांसवाड़ा	५००००	३२६	५००००	१४५९१	२५१९२	३९७८३	७९.५७
४	बारां	१७०५०	२५८	१९६८०	१२२५	१११३३	१२३५८	७२.४८
५	बाड़मेर	६५००	१०६	६५०६	३६६८	२४६५	६१३३	९४.३५
६	भरतपुर	३४५००	४५४	२९५५९	५४१३	२१४७३	२६८८६	७७.९३
७	भीलवाड़ा	३८१००	३८१	५७१५०	१२९१८	२२२३५	३५१५३	९२.२७
८	बीकानेर	३२३००	३०५	२६५५०	१२८६८	१२०२९	२४८९७	७७.०८

९	बूंदी	२५०००	४१७	२२४१४	७९६२	९९०५	१७८६७	७१.४७
१०	चित्तो□गढ़	२९०००	७८४	२८८४४	९४२७	१४४१४	२३८४१	८२.२१
११	चूरू	२२५००	२४२	२०३४४	७२५०	११८२८	१९०७८	८४.७९
१२	दौसा	२९२५०	२२५	२७२२२	२२२४	२०७४८	२२९७२	७८.५४
१३	धौलपुर	१६१००	१५३	१६३४४	३७३४	१०२७०	१४००४	८६.९८
१४	□ूंगरपुर	२५५००	४७४	२५०५६	६९७४	१४९४७	२१९२१	८५.९६
१५	गंगानगर	३९२००	३२०	३८७८६	१०१८१	१६९०७	२७०८८	६९.१०
१६	हनुमानगढ़	२५१५०	२५०	२५३३८	६१६९	७९५१	१४१२०	५६.१४
१७	जयपुर	७०३२०	६९८	६७२९२	१२३१२	४३३०३	५५६१५	७९.०९
१८	जैसलमेर	२२५५०	१६६	२२८१५	७०६०	१२८३२	१९८९२	८८.२१
१९	जालौर	३५०००	२६४	३५७५७	६९९९	१४२२६	२१२२५	६०.६४
२०	झालावाड़	३०५००	२५८	२९३७३	६३५३	१५२१२	२१५६५	७०.७०
२१	झुंझुनूं	३००००	२८८	२६६०६	५६४६	१७०२६	२२६७२	७५.५७
२२	जोधपुर	४५१००	५२७	४५१००	८९९६	२११७८	३०१७४	६६.९०
२३	करौली	३१३००	२२३	२८६४०	६३३५	२०११९	२६४५४	८४.५२
२४	नागौर	५५०००	६२८	५४८८८	१२१४१	३४०१४	४६१५५	८.९२
२५	पाली	३९०००	३२०	३००००	५७६४	२०१४२	२५९०६	६६.४३
२६	राजसमंद	२०५००	२८९	२०५००	३२४२	१३२२५	१६४६७	८०.३३
२७	स.माधोपुर	४०३००	३००	४०२३६	५९३०	२२६४७	२८५७७	७०.९१
२८	सीकर	३००५०	३२९	३००००	४८८७	२२८१५	२७७०२	९२.१९
२९	सिरोही	३१३५०	१५१	३३७०३	४०९०	११५११	१५६०१	४९.७६
३०	टोंक	४५०००	६८१	४६८८९	८४८९	१७०७१	२५५६०	५६.८०
३१	उदयपुर	२००००	३९१	२०५६५	५६६३	१२४६४	१८१२७	९०.६४
	कुल योग	१३५१०००	१३२७६	१३४०९१७	२९८६६६	७२८८९२	१०२७५५८	

साक्षर भारत का वित्तीय प्रबन्धन

साक्षर भारत मिशन, २०१२ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आवंटित फ्लेगशीप कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा ७५ : २५ के अनुपात में राशि जारी की जाती है। परियोजना की कुल स्वीकृत राशि ३३३९१ लाख रूपये है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

प्रथम किस्त

	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	वर्ष
अब तक स्वीकृत एवं	३७४१.७६	१२४७.२६	४९८९.०२	२००९-१०
प्राप्त राशि	६६८.८३	२२२.९४	८९१.७७	२०१०-११
कुल	४४१०.५९	१४७०.२०	५८८०.७९	

द्वितीय किस्त द्वितीय किश्त	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	वर्ष
अब तक स्वीकृत एवं प्राप्त राशि	८१११.१२	२७०३.७०	१०८१४.८२	२०११-१२
कुल	८१११.१२	२७०३.७०	१०८१४.८२	
महायोग	१२५२१.७१	४१७३.९०	१६६९५.६१	

यह कार्यक्रम ऑन लाईन व्यवस्था के अनुरूप होगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा ३१.०३.२०१२ तक १५६२६.२१ लाख रूपये का ऑथराईजेशन जारी किया गया है। मदवार अधिकृत राशि की स्थिति निम्न प्रकार है :-

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत मदवार अधिकृत राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	उपमद	प्रथम किश्त में अधिकृत राशि	द्वितीय किश्त में अधिकृत राशि	कुल अधिकृत राशि
१	बेसिक लिट्रेसी	(१) सर्वे	२९१.६१	०.००	२९१.६१
		(२) प्राईमर	४८६.०२	१५५५.२७	२०४१.२९
		(३) टी.एल.एम	२४३.१०	६६७.०८	९१०.१८
		(४) ट्रेनिंग त्प्च्ण्	४.८६	१३.१२	१७.९८
		(५) ट्रेनिंग ण्ज्ण्	१०६.९७	१४७.८१	२५४.७८
		(६) ट्रेनिंग टण्ज्ण्	७२९.३१	२१२३.२८	२८५२.५९
		(६) एसेसमेंट एवं	०.००	६०६.५६	६०६.५६

		सर्टीफिकेशन			
		कुल योग	१८६१.८७	५११३.१२	६९७४.९९
२	कन्टिन्यूइंग एज्युकेशन	(१) नॉन रिकरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु संसाधन	१२४२.२२	०.००	१२४२.२२
		(२) रिकरिंग प्रेरकों का मानदेय	१०६१.१६	३१८३.४८	४२४४.६४
		(३) प्रोग्राम कोस्ट	५९६.९०	१७९०.७१	२३८७.६१
		कुल	२९००.२८	४९७४.१९	७८७४.४७

३	कम्यूनिटी मोबाईलाइजे शन एवं एनवायरमेंट बिल्ि◌ंग		११०.५४	.	११०.५४
		योग	११०ण्५४		११०ण्५४
४	ट्रेनिंग आफ कार्ि◌नेटर	(१) स्टेट लेबल	०ण्०२	०.००	०.०२
		(२) जिला लेबल	०.३७	०.१९	०.५६
		(३) ब्लॉक एवं जी.पी. लेबल	५३.९२	३५.९५	८९.८७
		योग	५४.३१	३६.१४	९०.४५
५	मोनिटरिंग इवेल्यूशन एण◌ मेनेजमेन्ट	(१) ओनेरियम टू कॉर्ि◌नेटर	६४.२६	१५५.६०	२१९.८६
		(२) कार्यालय व्यय	५४.६०	१३१.४०	१८६.००
		(३)कम्यूनिटी मोबीलाईजेशन	२७.३०	१४२.६०	१६९.९०
योग			१४६.१६	४२९.६०	५७५.७६
महायोग			५०७३.१६	१०५५३.०५	१५६२६.२१

निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर

साक्षर भारत मिशन २०१२

साक्षर भारत कार्यक्रम में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को प्राप्त प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त का ऑथराईजेशन राशि एवं व्यय का विवरण

।ददगमत

माह मार्च २०१२ १

क्र.सं.	मद	प्रथम किश्त में प्राप्त अथोराइजेशन दिनांक ०८.०७.१०	द्वितीय किश्त में प्राप्त अथोराइजेशन दिनांक ०५.०१.१२	कुल प्राप्त ऑथराईजेशन राशि	दिनांक ३१.०३.१२ तक व्यय
१	**Basic Literacy**				
	(i) Survey	२९१६१३१६	०	२९१६१३१६	२५७५५२६१
	(ii) Learning Material (primers)	४८६०२१९४	१५५५२७०१९	२०४१२९२१३	४४१८४२९७
	(iii) Training of RP	४८६०२२	१३१२२५९	१७९८२८१	६५१९१२
	(iv) Assessment & Certification	०	६०६५५५३३	६०६५५५३३	२८४६४३४९
	Total	७८२४९५३२	२१७४९४८११	२९५७४४३४३	९९०५५८१९
२	**AEC'S N.R**				
	(i) Infra structure cost for old ces to be converted into AECS	१२४२२२०००	०	१२४२२२०००	४९०२४९७२
	Total	१२४२२२०००	०	१२४२२२०००	४९०२४९७२
३	**Training fo Co-ordinates**	१५००	६००	२१००	०
	Total	१५००	६००	२१००	०
४	**Management at SLMA**				
	(i) Honorarium to co-ordinates state level	९००००	२४००००	३३००००	२१३०८४
	(ii)office Exp	१८००००	३०००००	४८००००	१८९९५८
	(iii) community mobililzation at state lavel	९००००	१८००००	२७००००	१९६२८३
	Total	३६००००	७२००००	१०८००००	५९९३२५
	Gross Total	२०२८३३०३२	२१८२१५४११	४२१०४८४४३	१४८६८०११६

संकलित व्यय विवरण ३१.०३.२०१२ तक

S.No.	Particular	प्रथम किश्त में प्राप्त अथोराइजेशन	द्वितीय किश्त में प्राप्त अथोराइजेशन	Total Authroztion Received.	Exp. Up to ३१.०३.१२
१.	SLMA Level (As per anxer 1)	२०२८३३०३२	२१८२१५४११	४२१०४८४४८	१४८६८०११६
२.	District Level (As per anxer 2)	४५४५८४८४	९९९८२११३	१४५४४०५९७	४५२२४०४१
३.	Block Level (As per anxer 3)	८२१६५३९५	२३९६८७५९९	३२१८५२९९४	६०१४९३७८
४.	Gram panchyat Level	१७६८६००००	४९७४१८७५०	६७४२७८७५०	५७५७९३९८
Total		५०७३१६९११	१०५५३०३८७३	१५६२६२०७८९	३११६३२९३३

निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयोजना भिन्न व्यय प्रशासनिक प्रतिवेदन २०११-१२

(राशि लाखों में) बजट मद (लेखा शीर्ष)	लघुमद	आय व्ययक अनुमान २०११-१२	संशोधित अनुमान २०११-१२	वास्तविक व्यय २०११-१२	आय व्ययक अनुमान २०१२-१३
२२०२ - सामान्य शिक्षा	०१- संवेतन	५७५.००	५९०.००	५७१.१३	६७०.००
०४ - प्रौढ़ शिक्षा	०३- यात्रा भत्ता	३.००	३.५०	३.४५	३.५०
२०० - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	०४- चिकित्सा व्यय	४.५०	६.००	५.९६	४.५०
०१ - निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा	०५- कार्यालय व्यय	२०.००	२७.००	२६.६१	३०.००
(आयोजना भिन्न)	०६- वाहनों का क्रय	६.००	६.३५	६.३५	५.००
	०७- कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	१.५०	१.८०	१.८०	१.५६
	०८- वृत्तिक और विशिष्ट सेवाएं	०.००	०.००	०.००	०.०१
	०९- किराया रेट और कर/ रायल्टी	१.००	१.००	०.९८	१.००
	११- विज्ञापन विक्रय और प्रचार प्रसार व्यय	१.००	२.५०	२.४८	१.५०
	३१- पुस्तकालय एवं पत्रपत्रिकाओं पर व्यय	०.५०	०.५०	०.५०	०.५०
	३२- डिक्रीटल	०.०१	०.०१	०.००	०.०१
	८९- अशंदायी पेन्शन योजना में सरकार	०.०१	१.००	०.५८	१.००

	का अशंदान				
योग	दत्तमत	६१२.५१	६३९.६५	६१९.८४	७१८.५७
	प्रभृत	०.०१	०.०१	०.००	०.०१
२२०२ - सामान्य शिक्षा	०१- संवेतन	५५.००	५५.००	५०.४५	६०.००
०४ - प्रौढ़ शिक्षा	०३- यात्रा भत्ता	०.२०	०.२०	०.१७	०.२०
७९६- जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना	०४- चिकित्सा व्यय	०.२०	०.१५	०.१२	०.१५
	०५- कार्यालय व्यय	०.४५	०.४५	०.४५	०.४५
०१ - साक्षरता एवं सतत शिक्षा	०९- किराया रेट और कर/ रायल्टी	१.०५	०.९१	०.८७	०.९१
	८९- अशंदायी पेन्शन योजना में सरकार	०.०१	०.०१	०.००	०.००
(आयोजना भिन्न)	का अशंदान				
योग	दत्तमत	५६.९१	५६.७२	५२.०६	६१.७१
महायोग	दत्तमत	६६९.४२	६९६.३७	६७१.९०	७७९.२८
	प्रभृत	०.०१	०.०१	०.००	०.०१

निदेशालय साक्षरता एवं सतत् शिक्षा राजस्थान, जयपरु

प्रशासनिक प्रतिवेदन २०११-१२

(राशि लाखों में)

बजट मद (लेखा शीर्ष)	लघुमद	आय व्ययक	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आय व्ययक

		अनुमान २०११-२०१२	२०११-२०१२	२०११-१२	अनुमान २०१२-२०१३
२२०२ - सामान्य शिक्षा ०४ - प्रौढ़ शिक्षा २०० - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ०१ - निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा (आयोजना)	०१- संवेतन	३५.००	७.३६	०.७५	४९.००
	०३- यात्रा व्यय	०.२०	०.०५	०.०२	१.००
	०४- चिकित्सा व्यय	०.२०	०.०३	०.००	०.३९
	०५- कार्यालय व्यय	०.६०	१८.८४	१२.५३	१.००
	१२- सहायतार्थ अनुदान,	०.०१	४५२.८३	४५२.८३	०.०१
	२९- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	२४.००	२०.००	१६.२८	२५.२४
	३६- वाहनों का किराया	०.००	०.००	०.००	५०.००
	६२- कम्प्यूटराईजेशन एवं त्तसंबंधित संचार व्यय	७०.००	४५.००	४०.५०	२१.५६
	८९- अशंदायी पेन्शन योजना में सरकार का अशंदान	०.००	०.००	०.००	०.००
योग		१३०.०१	५४४.११	५२२.९१	१४८.२०
२२०२-सामान्य शिक्षा ०४-प्रौढ़ शिक्षा २००-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ०२-साक्षर भारत अभियान (आयोजना)	१२ -सहायतार्थ अनुदान,	३३४२.७८	२७०३.७१	२७०३.७१	५४९.६७
	६२ -कम्प्यूटराईजेशन एवं त्तसंबंधित संचार व्यय	३७.००	०.०१	०.००	०.०१

योग		३३७९.७८	२७०३.७२	२७०३.७१	५४९.६८
२२०२ - सामान्य शिक्षा ०४ - प्रौ शिक्षा ७८९ - अनु.जाति के लिए विशिष्ठ संघटक योजना ०१ - विशिष्ठ संघटक योजना (अजा के लिए)	२९ - प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	३.२०	३.२०	२.०१	४.८०
योग		३.२०	३.२०	२.०१	४.८०
२२०२ - सामान्य शिक्षा ०४ - प्रौढ़ शिक्षा ७८९ - अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ठ संघटक योजना ०२ - साक्षर भारत (आयोजना)	१२-सहायतार्थ अनुदान	०.००	०.००	०.००	१६६.७०
	योग	०.००	०.००	०.००	१६६.७०
२२०२ - सामान्य शिक्षा ०४ - प्रौढ़ शिक्षा ७८९ - अनु.जाति के लिए विशिष्ठ सघटक योजना	२९ - प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	०.००	०.००	०.००	३.६०

०३ - महिला शिक्षण विहार (आयोजना)					
	योग	०.००	०.००	०.००	३.६०
२२०२ - सामान्य शिक्षा ०४ - प्रौढ़ शिक्षा ७९६- जनजातिय क्षेत्र उपयोजना ०१ - निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा (आयोजना)	०५ - कार्यालय व्यय २९ - प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय ३६ - वाहनों का किराया	०.०० २.४० ०.००	१.९२ २.४० ०.००	१.३५ १.४४ ०.००	०.०० ४.०० ४.००
	योग	२.४०	४.३२	२.७९	८.००
२२०२ - सामान्य शिक्षा ०४ - प्रौ शिक्षा ७९६- जनजातिय क्षेत्र उपयोजना ०२ - साक्षर भारत	१२-सहायतार्थ अनुदान	०.००	०.००	०.००	१२१.६२
	योग	०.००	०.००	०.००	१२१.६२
२२०२ - सामान्य शिक्षा ०४ - प्रौ शिक्षा ७९६- जनजातिय क्षेत्र उपयोजना ०३- महिला शिक्षण विहार (आयोजना)	२९ - प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	०.००	०.००	०.००	२.६५

	योग	०.००	०.००	०.००	२.६५
२२०२ - सामान्य शिक्षा ०४ - प्रौ शिक्षा ८०० - अन्य व्यय ०१ - महिला शिक्षण विहार	२९ - प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन	१८.००	२०.५४	१७.२५	११.७५
योग		१८.००	२०.५४	१७.२५	११.७५
महायोग		३५३३.३९	३२७५.८९	३२४८.६७	१०१७.००

साक्षर भारत मिशन के अन्तर्गत जिलों में खुलवाये गये खातों की सूचना

क्र.स.	नाम जिला	कुल खोले जाने वाले खातों की संख्या	कुल खुलवाये गये खातों की संख्या
१	अजमेर	२७५	२७५
२	अलवर	४७१	४७१
३	बांसवाड़ा	३०६	३०६
४	बारा	२१४	२१४
५	बाड़मेर	३८०	३८०
६	भरतपुर	३७१	३७१
७	भीलवाड़ा	३८१	३८१
८	बीकानेर	२१९	२१९
९	बूंदी	१८१	१८१
१०	चित्तौड़गढ़	२८८	२८८
११	चूरू	२४९	२४९
१२	दौसा	२२५	२२५
१३	धौलपुर	१५३	१५३
१४	डूंगरपुर	२३६	२३६
१५	गंगानगर	३२०	३२०
१६	हनुमानगढ़	२५१	२५१
१७	जयपुर	४८८	४८८
१८	जैसलमेर	१२८	१२८
१९	जालौर	२६४	२६४
२०	झालावाड़	२५२	२५२
२१	झुंझुनू	२८८	२८८
२२	जोधपुर	३३८	३३८
२३	करौली	२२३	२२३
२४	नागौर	४६१	४६१
२५	पाली	३२०	३२०
२६	राजसमन्द	२०५	२०५

२७	स.माधपुर	१९७	१९७
२८	सीकर	३२९	३२९
२९	सिरही	१५१	१५१
३०	टोंक	२३०	२३०
३१	उदयपुर	४४९	४४९
कुल यग		८८४३	८८४३

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत ८८४३ खाते के विरूद्ध ८८४३ खाते खुलवा लिये गये हैं ज कि लक्ष्य का लगभग १०० प्रतिशत है। यह खाते साक्षर भारत के पर्टल पर दर्ज ग्राम पञ्चायतों की सख्या के अनुसार खुलवाये गये है। उपरक्त खातों का अॅथराईजेशन भी जारी किया जा चुका है।

साक्षर भारत मिशन-२०१२ में पञ्चायती राज सस्थाओ की भागीदारी व प्रदत्त उत्तरदायित्व

साक्षर भारत मिशन २०१२ के अन्तर्गत पञ्चायती राज सस्थाओ क मुखय क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है। ग्राम पञ्चायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक पञ्चायती राज सस्थाओ के माध्यम से सुदृढ़ सूचना तत्र विकसित किया गया है। यजना की गतिविधियों एव भूमिकाओ का स्पष्ट्र उल्लेख किया गया है एव तदनुसार राज्य में विभिन्न स्तरों पर पी.आर.आई. क निम्नानुसार उत्तरदायित्व प्रदान किए गए है :-

राज्य स्तर पर :- राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकृत यजना का कार्यक्रम व रणनीति तैयार करने, उसका क्रियान्वयन करने एव यजना की मानिटरिञ्ग करने हेतु उत्तरदायी है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की शाषी परिषद के अध्यक्ष स्वय मानननीय मुखयमत्री राजस्थान सरकार हैं एव राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की निष्पादक समिति के अध्यक्ष मुखय सचिव महदय है। उक्त दमों समितियों में क्रमशः ग्रामीण विकास एव पञ्चायती राज मत्री तथा प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण व पञ्चायती राज सदस्य हैं।

जिला स्तर पर :- जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित जिला लक्ष शिक्षा समिति जिला स्तर पर यजना के क्रियान्वयन हेतु जिला विशेष की परिस्थितियों एव आवश्यकतानुसार रणनीति तैयार करेगी, तदनुसार जिले का वार्षिक कलैण र भी तैयार करेगी। जिला लक्ष शिक्षा समिति द्वारा इनका सम्प्रेषण ग्राम पञ्चायत स्तर तक किया जावेगा। जिला लक्ष शिक्षा समिति के दायित्व व अधिकार इस प्रकार हैं :-

१. जिले में लक्ष शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थान चिन्हित करेगी।
२. केन्द्रों हेतु आवश्यक पठन-पाठन सामग्री का क्रय करेगी एव उनका ग्राम पञ्चायत स्तर तक वितरण भी सुनिश्चित करेगी।
३. जिला स्तर पर वातावरण निर्माण एव सामुदायिक सहभागिता हेतु आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व वहन करेगी। जिला स्तर पर यजना का व्यापक प्रचार-प्रसार का दायित्व भी जिला लक्ष शिक्षा समिति का हगा।
४. जिला स्तर पर अनुबन्ध पर रखे जाने वाले समन्वयकों का चयन करेगी एव उनका प्रशिक्षण भी आयजित करा सकेगी
५. समन्वयकों क मानदेय प्रदान करने हेतु भी जिला लक्ष शिक्षा समिति क अधिकृत किया गया है।
६. जिले में पठन- पाठन गतिविधियों के पर्यवेक्षण व प्रबधन का कार्य भी जिला लक्ष शिक्षा समिति द्वारा किया जावेगा।
७. साक्षर भारत यजना में विभिन्न विभागों एव एजेन्सियों से समन्वय (यथा नरेगा, एसएचजी व अन्य विभाग) का उत्तरदायित्व भी जिला लक्ष शिक्षा समिति क दिया गया है।

८. जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जिला लक्ष शिक्षा समिति द्वारा कराया जावेगा।

महिला समखया योजना

१. यह कार्यक्रम यू.के. एवं भारत सरकार के सहयोग से उन राज्यों के उन जिलों में चलाया जायेगा, जहॉ की पंचायत समिति/ब्लॉक स्तर पर महिला साक्षरता दर ३० प्रतिशत से कम है।

२. इस कार्यक्रम को संचालित करने में राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का कोई व्यय वहन नहीं करना है। इसकी फण्डिंग ९० प्रतिशत यू.के. से एवं १० प्रतिशत भारत सरकार से होगी।

३. भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के ०९ जिलों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बांसवाड़ा, जालौर, टोंक, डूंगरपुर, जैसलमेर एवं झालावाड़) के ५४ पंचायत समिति/ब्लॉक में संचालित किया जाना है जहाँ कि महिला साक्षरता दर ३० प्रतिशत से कम है।

४. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक सम्बन्धित जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ३० महिलाओं का समूह, चाईल्ड केयर सेंटर, महिला फैडरेशन, आवासीय शिक्षण केन्द्र एवं अल्प तथा दीर्घ, अवधि के व्यावसायिक कौशल पाठ्यक्रम का संचालन किया जायेगा, जिनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना आदि कार्य सम्मिलित है।

५. राजस्थान राज्य में इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए शाषी परिषद् एवं निष्पादक परिषद का गठन माननीय मुखयमंत्री महोदय के अनुमोदनानुसार किया जा चुका है।

६. शाषी परिषद् एवं निष्पादक परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का भी मनोनयन किया जायेगा।

७. महिला समखया समिति का सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जा चुका है।

गैर सरकारी सगठन की भूमिका :-

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तगत सरकारी तथा गैर सरकारी सगठनों के बीच सबधों क और मजबूत किया जाएगा। जिन गैर सरकारी सगठनों और अन्य समूहों ने प्रौढ़ शिक्षा के मुद्दे पर दीर्घकालीन प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है तथा ज पहले से ही स्थापित हों तथा इस क्षेत्र में जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा ह उन्हें सभी स्तरों पर सगाधन समूह के रूप में गठित किया जाएगा। स्वयसेवी सस्थाओ क प्रेरित किया जाएगा कि वे मिशन के किसी भी कार्यक्रम के अतर्गत गतिविधिया सचालित करें साथ ही उद्देश्य से नवाचार अपने हाथ में लें, इस कार्य के लिए उन्हें अनुमदित बजट मानकों पर अनुदान भी दिया जाएगा। ऐसे गैर सरकारी सगठनों के चयन का दायित्व राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण अथवा राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा तय की गई राज्य की क्रियान्वयन एजेंसी का हगा। तथापि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण किसी भी गैर सरकारी सगठन का चयन कर उससे मिशन के किसी पक्ष पर सहयग ले सकेगा।

गैर सरकारी सगठन के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रमुख शासन सचिव स्कूल एव सस्कृत शिक्षा के आदेश दिनाक ०१.०९.२०१० के क्रम में एक कमेठी का गठन किया हुआ है। कमेटी के सदस्यों की बैठक दिनाक ०३.११.२०१० क आयजित हुई, जिसमें ३४ प्रस्तावों का गहन परीक्षण किया गया। प्राप्त ३४ प्रस्तावों में से ३ सस्थाओ के प्रस्ताव उपयुक्त पाये गये, ज साक्षरता के क्षेत्र मे काफी समय से कार्य कर रहे है तथा उन्हे साक्षरता के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है एव वे सभी शर्तों क भी पूर्ण करते है। चयन उपरान्त तीनों सस्थाओ के प्रस्ताव १७.०१.२०११ क भारत सरकार क भिजवायें गये।

महिला शिक्षण विहार :-

राज्य के १५ से ३५ आयुवर्ग के वचित वर्ग, परित्यक्ता, विधवा, आदिवासी एव दूरस्थ अचलों की महिलाओ क तीन वर्ष तक आवासीय विद्यालयों के

माध्यम से कक्षा ८ तक की शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक हुनर दिया जाता है, जिससे महिलाएं सशक्त होकर स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनती है। ये शिक्षण विहार जिला झालावाड़ में संचालित है, जिसे अन्तर्गत वर्ष २०११-१२ में ३० महिलाओं को लाभान्वित किया गया है, जिसमें २५ महिलाएं अनुसूचित जनजाति, ०१ महिला अनुसूचित जाति की तथा ०४ महिलाएंअल्स पिछड़ा वर्ग की थी।

सूचना का अधिकार :-

विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त निदेशक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। वर्ष २०११-१२ में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत ३० प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से ३० प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है अर्थात शत-प्रतिशत प्रकरणों का निपटारा समय पर किया जा चुका है।

निरीक्षण एवंप्रबंधन :-

राज्य में कार्यक्रम को प्रभावी एवंगुणवत्तापूर्वक संचालित करने के लिए राज्य स्तर पर जिला साक्षरता एवंसतत शिक्षा अधिकारियों की प्रतिमाह मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें उन्हें कार्यक्रम में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं को दूर करने के दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते है, साथ ही उन्हें कार्यक्रम संचालन के लिए विभिन्न जानकारियों भी दी जाती है। राज्य स्तर पर जिलों के निरीक्षण के लिए जिला प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये अधिकारी अपने जिलों में कार्यक्रम की प्रगति की मॉनिटरिंग समय-समय पर करते है।

विभागीय वेबसाइट :-

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विभागीय वेबसाइट (www.rajliteracy.org) का लोकार्पण किया गया है जिसे नियमित अद्यतन किया जा रहा है। विभाग द्वारा अर्जित मुख्य-मुख्य उपलब्धियों का विवरण :-

विभाग क□ प्राप्त पुरस्कार :-

(१) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर -

'यूनेस्क□ कन्फुशियस पुरस्कार' साक्षरता के क्षेत्र में जीवनपय□गी द्गिक्षा एव□नवाचारों हेतु विभाग क□ चीन सरकार के द्वारा २३ दिसम्बर २००६ क□ यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें + २०,००० चाँदी का मै□ल एव□ प्रषस्ति पत्र प्रदान किया गया।

(२) राष्ट्रीय स्तर पर -

सत्येन मैत्रैय पुरस्कार : राष्ट्रीय साक्षरता मिषन प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा राज्य में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रेष्ठ कार्य करने पर प्रदान किया गया। अब तक राज्य के ११ जिलों क□ इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ज□ इस प्रकार है :-

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	-	१९९७ पाली एव सीकर, १९९८ उदयपुर एव चित्तौड़गढ़। १९९९ जाल□र, २००१ जैसलमेर।
उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	-	२००१ दौसा, बीकानेर, २००६ हनुमानगढ़।
सतत् द्गिक्षा कार्यक्रम	-	२००४ अजमेर, २००७ चित्तौड़गढ़।

दशाब्दि साक्षरता एव□दशाब्दि महिला पुरस्कार :- राष्ट्रीय साक्षरता मिषन प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष २००१ में राज्य क□ महिला साक्षरता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने पर यह पुरस्कार दिया गया।

श्रेष्ठ प्रेरक पुरस्कार :- राज्य के १५ प्रेरकों क□ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

निर्मल ग्राम पुरस्कार :- राज्य के सात जिलों की १२ ग्राम पञ्चायतों क□ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(३) राज्य स्तर पर :-

अक्षर मित्र पुरस्कार :-

राज्य में साक्षरता के क्षेत्र में निः स्वार्थ भाव से कार्य करने वाले प्रेरकों क□ प्रतिवर्ष ८ सितम्बर क□ अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं अब तक २७८ प्रेरकों क□ यह पुरस्कार दिया जा चुका है।

श्रीगुरूजी पुरस्कार :-

साक्षरता के तहत छः विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/सञ्चस्थाओ□ क□ अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर वर्ष २००७ से श्रीगुरूजी पुरस्कार प्रारम्भ किया गया है। वर्ष २००७ में कुल ८ पुरस्कार दिये गये, जिसमें तीन प्रेरक, एक जि.सा.स.षी.अ. द□ स्वयञ्सेवी सञ्चस्था, द□ सामाजिक कार्यकर्त्ता सम्मिलित थे।

कालीबाई महिला साक्षरता पुरस्कार :-

वर्ष २००५ से महिला साक्षरता के तहत उत्कृष्ठ कार्य करने वाली समर्पित महिला क□ कालीबाई पुरस्कार सम्मान प्रारम्भ किया गया। अब तक राज्य की द□ महिलाओ□क□ कालीबाई पुरस्कार से सम्मनित किया जा चुका हैं।

अल्पसञ्ख्यक महिलाओ□में साक्षरता विकसित करने हेतु आय□जित सञ्गोष्ठी

साक्षर भारत मिषन-२०१२ के अन्तर्गत सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य क□ प्राप्त करने हेतु द्विाक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक पिछ□े हुए मुस्लिम समाज की

महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधि यथा जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान एवं सरपंच तथा नवसाक्षर एवं स्वयंसेवकों की दिनांक २३-२४ मार्च २०१० को दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार विषय **"Seminar or Augmenting Literacy among Minorities with Focus on Women"** पर आयोजित की गई, जिसमें २२ प्रदेशों की मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधियों नवसाक्षर एवं स्वयंसेवकों ने भाग लिया। राजस्थान से भी इस सम्मेलन में मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधि, नवसाक्षर एवं स्वयंसेवकों सहित कुल २० सम्भागियों के प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया।

सम्भागियों का चयन :-

इस सेमिनार में मुस्लिम समाज की महिलाओं को भाग लेने हेतु तैयार करना एक कठिन कार्य था। इस कार्य को सहज एवं सम्भव बनाने के लिए समाज के प्रभावशाली एवं जिम्मेदार व्यक्तियों से सम्पर्क कर इन महिलाओं को सेमिनार में भाग लेने हेतु तैयार किया गया। साथ ही यह भी प्रयास किया गया कि इस सेमिनार में राजस्थान के अधिकतर जिलों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए चयन किया जायें। धौलपुर, झुन्झुनूं, भरतपुर, गंगानगर, सिरोही, स.माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, सीकर, एवं अलवर जिलों से सम्भागियों का चयन किया गया ताकि इसका व्यापक संदेष प्रदेष के सभी क्षेत्रों में पहुंचे।

यात्रा कार्यक्रम :-

सभी सम्भागियों को दिनांक २२.०३.२०१० को निदेषालय, साक्षरता एवं सतत शिक्षा परिसर में प्रातः ११.०० बजे तक एकत्रित किया गया। सभी सम्भागियों से निदेषालय के अधिकारियों ने परिचय प्राप्त किया और उनके साथ प्रासंगिक एवं अनौपचारिक चर्चा के दौरान उन्हें सहज बने रहने एवं अपनत्व का अनुभव करते रहने के लिए उनके साथ चाय एवं भोजन ग्रहण किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई इन सम्भागियों के मन में एक प्रकार का विश्वास और संतोष का भाव उजागर हुआ।

निदेषालय से महिलाओं के साथ विभाग के कार्यक्रम अधिकारी को भी भेजा गया ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की विषय से सम्बन्धित समस्या का सामना नहीं करना पड़े। दोपहर २.०० बजे विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई बस द्वारा सामूहिक रूप से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारियों के पदस्थापन की स्थिति

३१ मार्च, २०१२

क्र.स.	नाम जिला	नाम साक्षरता एव सतत शिक्षा अधिकारी	कार्यालय दूरभाष नम्बर
१.	अजमेर	श्री आबिद अली नकवी	०१४५-२६२०२५७
२.	अलवर	श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा	०१४४-२७३६०९२
३.	बांसवाड़ा	श्री रमेष चन्द पाटीदार	०२९६२-२४१३३९
४.	बारा	श्री सीताराम मीणा	०७४५३-२३१५७९
५.	बाड़मेर	श्री प्रेमप्रकाश व्यास	०२९८२-२२०७३६
६.	भरतपुर	श्री कृष्णवीर सिंह	०५६४४-२२२७०१
७.	भीलवाड़ा	श्री रमेष चन्द्र श्रोत्रीय	०१४८२-२३२६००
८.	बीकानेर	श्री जोरावर सिंह	०१५१-२२०४७०३
९.	बूंदी	श्री हमीद उल हक	०७४७-२४४३९१२
१०.	चित्तौड़गढ़	श्री सुभाष शर्मा	०१४७२-२४२७७५
११.	चूरू	श्री रामकरण रूयल	०१५६२-२५३८२६
१२.	दौसा	श्री ईश्वर लाल शर्मा	०१४२७-२३११६१
१३.	धौलपुर	श्री किषनपाल जादौन	०५६४२-२२०८७४
१४.	डूंगरपुर	श्री गट्टू लाल अहारी	०२९६४-२३२८४०
१५.	गंगानगर	श्री शिव कुमार सिहाग	०१५४-२४४४९०४
१६.	हनुमानगढ़	श्री सिद्धार्थ मेहरा	०१५५२-२६५२३९
१७.	जयपुर	श्री दयाराम महरिया	०१४१-२२०३६४०
१८.	जैसलमेर	श्री मोहन लाल बारूपाल	०२९९२-२५२६९३
१९.	जालौर	श्री मनोहर सिंह चारण	०२९७३-२२२५७९
२०.	झालावाड़	श्री मसूर अहमद	०७४३२-२३२५७४

२१.	झुन्झुनू	श्री घीसा राम	०१५९२-२३२८५९
२२.	जोधपुर	श्री एन.के.जोशी	०२९१-२५५५०७०
२३.	करौली	श्री श्रवण कुमार चन्द्रवाल	०७४६४-२५०१०७
२४.	नागौर	श्री उत्तम चन्द ओझा	०१५८२-२४६२११
२५.	पाली	श्री हंसराज चौहान	०२९३२-२२३९९५
२६.	राजसमन्द	श्री शंकर लाल सनाढ़य	०२९५२-२२२५२०
२७.	स.माधोपुर	श्रीमती कमला बारवाल	०७४६२-२२०५७५
२८.	सीकर	श्री हरलाल सिंह	०१५७२-२५१२४६
२९.	सिरोही	श्री मोहन लाल सोनी	०२९७२-२२०७०५
३०.	टोंक	श्री अजीजुल्लाह सिरानी	०१४३२-२४७६१०
३१.	उदयपुर	श्री सरदार सिंह देवड़ा	०२९४-२४१३२२१
३२.	प्रतापगढ़	श्री अनिल पोरवाल	९४१४८५८५०९

- - - -

साक्षर भारत

MkW-,l-jk/kkd`".ku~ f'k{kk ladqy

राजस्थान सरकार

निदेषालय साक्षरता एवं सतत द्विाक्षा, राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-पंचम, प्रथम तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-३०२०१७

. : 0141-2708836, 2708902, Fax No.-2709025, www.rajliteracy.org,
E-mail : dir-lit-rj@nic.in, dir.lit.rj@gmail.com